कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / आवंटन / 2014 / 1802–5 / 2783–2816 दिनांक :: 26 अगस्त, 2015

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री जोगा राम, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 26 अगस्त, 2015 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट--1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 26 मार्च, 2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 26 मार्च, 2015 को आयोजित हुई। बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हो चुका है। अतः कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 26 मार्च, 2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: राजस्व ग्राम पालडी खिचियान के खसरा संख्या 93 / 10 की रकबा 1980.03 बीघा गैर मुमकिन मगरा भूमि में से भूमि पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा "मण्डलनाथ आवासीय योजना" विकसित करने के संबंध में।

तहसील जोधपुर राजस्व ग्राम पालडी खिचियान के खसरा नम्बर 93 / 10 की रकबा 1980.03 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा भूमि में से भूमि पर आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त आवासीय योजना का नामकरण "मण्डलनाथ आवासीय योजना" किया जाना प्रस्तावित किया गया।

उक्त योजना के योजना मानचित्र में दर्शित कॉर्नर के भूखण्डों का निष्पादन नीलामी के माध्यम से एवं शेष भूखण्डों का निष्पादन लॉटरी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना की आरक्षित दर इस हेतु गठित समिति के निर्णयानुसार 1600 / – रूपये प्रति वर्ग मीटर रखी गयी है। उक्त योजना के लॉटरी के माध्यम से किये जाने वाले भूखण्डों के आवंटन हेतु आमजन से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी। आवेदन–पत्र की दर 500 / -- रूपये रखी गयी है। "मण्डलनाथ आवासीय योजना" के अनुमोदन, आवेदन–पत्र आमंत्रण, लॉटरी द्वारा भूखण्डों के आवंटन एवं आरक्षित दर के अनुमोदन के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया तथा लॉटरी शीघ्र ही आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: राजस्व ग्राम लोरडी पण्डितजी के खसरा नम्बर 103 की कुल रकबा 196.09 बीघा किस्म बारानी–तृतीय व खसरा नम्बर 104 कुल रकबा 242.06 बीघा किस्म बारानी–तृतीय भूमि में से भूमि पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा "विज्ञान नगर आवासीय योजना" विकसित करने के संबंध में।

तहसील जोधपुर राजस्व ग्राम लोरडी पण्डितजी के खसरा नम्बर 103 की कुल रकबा 196.09 बीघा किस्म बारानी तृतीय व खसरा नम्बर 104 कुल रकबा 242.06 बीघा किस्म बारानी–तृतीय भूमि में से आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया। उक्त आवासीय योजना का नामकरण "विज्ञान नगर आवासीय योजना" किया जाना प्रस्तावित किया गया।

उक्त योजना के योजना मानचित्र में दर्शित कॉर्नर के भूखण्डों का निष्पादन नीलामी के माध्यम से एवं शेष भूखण्डों का निष्पादन लॉटरी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना की आरक्षित दर इस हेतु गठित समिति के निर्णयानुसार 3061/– रूपये प्रति वर्ग मीटर रखी गयी है। उक्त योजना के लॉटरी के माध्यम से किये जाने वाले भूखण्डों के आवंटन हेतु आमजन से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी। आवेदन–पत्र की दर 500/– रूपये रखी गयी है। "विज्ञान नगर आवासीय योजना" के अनुमोदन, आवेदन–पत्र आमंत्रण, लॉटरी द्वारा भूखण्डों के आवंटन एवं आरक्षित दर के अनुमोदन के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया तथा लॉटरी शीघ्र ही आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं हेतु आरक्षित दर का निर्धारण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की विभिन्न योजनाओं हेतु आरक्षित दर निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 13.05.2015 एवं 14.05.2015 को बैठक आयोजित की गई निर्धारित की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है। कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ।

क्र.स.	योजना का नाम	निर्धारित की गई दर	इकाई
1	आर.ओ.बी भदवासिया पर भदवासिया रोड की तरफ सर्विस रोड में निर्मित दुकानें	55750/–	प्रति वर्ग मीटर
2	खसरा न. 269 ग्राम कुडी भगतासनी मुख्य पाली रोड व्यवसायिक योजना	19368/–	प्रति वर्ग मीटर
3	ग्राम लोरडी पंडित जी स्थित सस्थानिक योजना में विज्ञान नगर आवासीय योजना	3061/–	प्रति वर्ग मीटर
4	ग्राम बासनी तम्बोलिया खसरा न. 7 एवं 7/1 योजना	3300/–	प्रति वर्ग मीटर
5	ग्राम पालडी खिचियान स्थित खसरा न. 80 व 93 संस्थानिक योजना में मंडलनाथ आवासीय योजना	1600/–	प्रति वर्ग मीटर

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार निर्धारित आरक्षित दर का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम सूथला के खसरा संख्या 101 ज्वाला विहार में उच्च जलाशय हेतु भूमि आवंटन बाबत।

अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (उ.वि. एंव राजस्व), जोधपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 9967 दिनांक 11.03.2015 के जरिये ग्राम सूंथला के खसरा संख्या 101 में ज्वाला विहार स्थित ऑपन लैण्ड भूमि में से 100×100 फीट भूमि उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटन करने की मांग की गयी है। उपरोक्त भूमि निदेशक आयोजना की राय अनुसार ऑपन लैण्ड से पब्लिक यूटिलिट (उच्च जलाशय) हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की शर्त पर आवंटित की जा सकती है। उपरोक्त भूमि की आवासीय आरक्षित दर 2200/–रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से राशि 2200×930वर्गमीटर =20,46,000/–रूपये बनती है। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग को आरक्षित दर से राशि जमा करने हेतु सहमति प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग से सहमति प्राप्त होने के पश्चात् भूमि का ऑपन लैण्ड से पब्लिक यूटिलिट (उच्च जलाशय) भू–उपयोग परिवर्तन करवाया जाने के पश्चात् प्रकरण राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक मे बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त समस्त तथ्यों के साथ प्रकरण में उपरोक्त वर्णित शर्तों के साथ आवंटन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: रीको को ग्राम कैरू के खसरा संख्या 812 में 1600 बीघा भूमि औद्यौगिक प्रयोजनार्थ आवंटन बाबत।

क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक आई.पी.आई.(अ.)1306/2015/902 दिनांक 23.07.2015 द्वारा ग्राम कैरू के खसरा नं. 812 में से 1600 बीघा भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। नगरीय विकास विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.2(7)नविवि/जनरल/2015 जयपुर दिनांक 16.04.2015 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि रीकों को उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि के बदले उस क्षेत्र में प्रचलित कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर या आवासीय आरक्षित में से जो कम हो वह ली जावें। उपरोक्त भूमि का मास्टर प्लान 2023 में भू–उपयोग अरबन ऐरिया से बाहर ग्रामीण में स्थित है। उपरोक्त भूमि की कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर आवासीय आरक्षित दर से कम है, इसलिए भूमि की कीमत की गणना कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर 6,86,250/–रूपये प्रति बीघा से 1600 बीघा भूमि का मांग–पत्र क्रमांक 597 दिनांक 28.07.2015 को भूमि की कीमत राशि 109.80 करोड़ रूपये प्राधिकरण कोष में जमा करवाने हेतु रीको को लिखा जा चुका है। रीको से सहमति प्राप्त होने पर प्रकरण राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि आवंटन तिथि को प्रभावी डी.एल.सी. दर या आवासीय आरक्षित दर में जो कम हो (पत्रांक प.2(7)नविवि/जनरल/2015/जयपुर दिनांक 16.04.2015) से भूमि की कीमतन राशि वसूल की जावेगी।

प्रस्ताव संख्या 7 :: रीको को ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761 में 751 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन करने बाबत्।

जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश क्रमांक प.12(3–)राज./आर./10/12363 दिनांक 09.10.2010 द्वारा राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा नम्बर 761 की रकबा 1784.12 बीघा भूमि में से 751 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ सेट–अपार्ट की गई थी। जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम–2009 की धारा 48 के अनुसार जोधपुर रीजन में अवस्थित समस्त भूमिया प्राधिकरण में विनिहत (vest) होती है। राजस्व ग्राम तिंवरी जोधपुर रीजन के अन्तर्गत स्थित है। अतः जिला कलक्टर महोदय से राजस्व ग्राम तिवंरी के खसरा नम्बर 761 की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरण करने का निवेदन किया गया था।

उक्त भूमि प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित होने से भूमि आवंटन के लिये राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधान लागू होते है। उक्त प्रावधानों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आंवटन के लिये नगरीय विकास विभाग की सक्षमता होने से नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर से मार्गदर्शन चाहे जाने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्रांक पं.3(241)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 05.12.2011 द्वारा निदेशित किया गया कि "राजस्थान औद्योगिक विकास प्राधिकरण व्यावसायिक अण्डरटेकिंग है, अतः राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 8(2) के अध्यधीन राजस्थान औद्योगिक विकास निगम को डी.एल.सी. अथवा आरक्षित दर जो भी कम हो उसके अनुसार राशि वसूल कर भूमि आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् जिला कलक्टर, जोधपुर के पत्रांक 6(100)विकास/उद्योग/2012/2624 दिनांक 19.04.2012 के सम्बन्ध में विचार कर उप शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्रांक प.3(241)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 04.05.2012 द्वारा यह निदेशित किया गया कि "सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार पूर्व में जारी समसंख्यक पत्रांक दिनांक 05.12.2011 के अधिक्रमण में ग्राम तिंवरी तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 761 की 751 बीघा भूमि, रीको को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित दर रूपये 1200/–रूपये की 25 प्रतिशत दर पर आंवटन की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।"

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप कार्यालय पत्रांक एफ46/आवंटन(पश्चिम)/2012/50 दिनांक 10.05.2012 द्वारा क्षैत्रीय प्रबन्धक रीकों, जोधपुर को मांग पत्र जारी कर दिया गया।

जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक प12(3–)राज/हस्तां/जेडीए/2015/445 दिनांक 06.12.2015 के जरिये ग्राम तिंवरी के खसरा नं. 546/2, 587/2, 589/2, 629, 630, 630/2, 703, 761, 761/5, 785, 795 की भूमियां प्राधिकरण के नाम संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3)विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(विविध)राज/3/14 जयपुर दिनांक 23.01.2015 में प्रदत्त निर्देशों की पालना करते हुए वर्णित भूमियों को किसी अन्य को किसी प्रयोजनार्थ आवंटन से पूर्व भूमि की किस्म राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर से परिवर्तित कराये बिना किसी भी सूरत में नहीं करने की शर्त के साथ प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त–पश्चिम ने अवगत कराया कि राजस्व ग्रुप–3 विभाग के पत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2015 द्वारा विभाग के पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2015 द्वारा जारी निर्देश जिसमें गौचर भूमि को राजस्व विभाग से किस्म परिवर्तित करवाये बिना किसी भी सूरत में आवंटित/स्थानान्तरित नहीं किया जावे, को विड्रा कर लिया गया है। इस संबंध में उल्लेखनिय है कि इस तरह के प्रकरणों में एट्रोर्नी जनरल भारत सरकार ने निम्न लिखित प्रकार से जयपुर विकास प्राधिकरण को राय प्रेषित की है :–

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(821)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 21, अक्टूबर, 2013 द्वारा चारागाह भूमि के संबंध में जगपाल सिंह बनाम् पंजाब राज्य व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 तथा राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 285.04.2011 जविप्रा स्वामित्व की भूमियों पर लागू होता है अथवा नहीं, इस संबंध में श्री जी.ई. वाहनवती, अटार्नी जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा निम्नानुसार राय/मार्गदर्शन दिया गया है :-

13. I shall now proceed to answer the queries as under :

Q. a Whether the judgment to the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.01.2011 does in any manner impunge upon the rights of JDA to dispose of the land or develop the land in accordance with the provisions of Jaipur Development Authority Act of 1982 ?

Ans. No.

Q.b. Whether the circular issed by Govt. of Rajasthan dated 25.04.2011 would also be confined to lands which are governed by Rajasthan Land Revenue Act., i.e. the land which are not urban and rural in nature ?

Ans. Does not arie.

Q.c. Whether the provision of Jaipur Development Authority Act shall have overriding effect over the provisions of Rajasthan Land Revenue Act as laid down under Section 54 of the Jaipur Development Authority Act.

Ans. Yes

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार उक्त मार्गदर्शन के अनुसार चारागाह भूमि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावे।

अतः उपरोक्तानुसार आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपर्युक्तानुसार राज्य सरकार की अनुमति अनुसार नियमानुसार राशि जमा कर भूमि आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: पुलिस उपायुक्त-पश्चिम जोधपुर व सहायक पुलिस आयुक्त प्रतापनगर के कार्यालय हेतु जमीन आवंटन के संबंध में।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-पश्चिम, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक जोध/अति पुलिस उपायुक्त/पश्चिम/2015/100-4 दिनांक 3 फरवरी, 2015 द्वारा ग्राम चौखा के खसरा संख्या 5 व 6 की भूमि में से कार्यालय पुलिस उपायुक्त-पश्चिम कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त प्रतापनगर के प्रशासनिक भवन के लिए उपयुक्त जमीन निःशुल्क आवंटन करने की मांग की है।

इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गयी। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 4 व 5 की भूमि राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। प्राधिकरण के नाम उक्त भूमि दर्ज नहीं है। अतः प्रकरण में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.02.2015 में विचार विम ि सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्तावनुसार भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज नहीं है। अतः भूमि प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरण करवाने के पश्चात् पुनः प्रकरण समस्त रिपोर्टों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें। बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में ग्राम चौखा के खसरा नं. 4 व 5 की भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरण करने हेतु कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर को पत्र क्रमांक 84 दिनांक 03.03.2015 के जरिये लिखा गया। कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर के पत्र क्रमांक 2485 दिनांक 04.06.2015 के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चौखा के खसरा नं. 3 खातेदारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 5 पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को हस्तातरित है एंव खसरा नं. 4 की राजकीय भूमि का खसरा है। ग्राम चौखा का खसरा नं. 4 जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने हेतु देय पूंजीगत मूल्य राशि 173/-रूपये नियमानुसार राजकोश में जमा करावें। उपरोक्त भूमि

प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के लिए पूंजीगत मूल्य राशि 173/—रूपये राजकोष में तहसीलदार राजस्व, जोधपुर के यहां जमा करवाने की स्वीकृति आदेश क्रमांक 561—566 दिनांक 15.07.2015 को जारी किया गया। कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश क्रमांक प.12(3—)राज/हस्तां/जेडीए/2015/3548—54 दिनांक 28.07.2015 के अन्तर्गत ग्राम चौखा के खसरा नं. 4 किस्म बारानी द्वितीय कुल रकबा 5.08 बीघा भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जा चुकी है। उपरोक्त भूमि में से कार्यालय पुलिस उपायुक्त—पश्चिम कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त प्रतापनगर के प्रशासनिक भवन के लिए उपयुक्त जमीन निःशुल्क आवंटन करने की मांग की है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त—पश्चिम ने अवगत कराया कि प्रश्नगत भूमि पर पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पुलिस विभाग के अधिकारियों को संपूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अवगत कराया जावे। साथ ही पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण किया जाऐ। इसके बाद पुलिस विभाग उक्त भूमि आवंटन हेतु सहमति प्रदान करें तो सहमति प्राप्त कर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: पुलिस थाना बनाड के प्रशासनिक एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन।

पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर ने पत्रांकः— भ.4( )जोध—पु.आ./भवन/2012/138 दिनांक 11.02.2013 द्वारा पटवारी बनाड, तहसील जोधपुर से तैयार कराये गये नक्शे व जमाबन्दी की छाया प्रति संलग्न कर खसरा संख्या 56 ग्राम बनाड में उपलब्ध राजकीय भूमि में से 15 बीघा भूमि पुलिस थाना बनाड के प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु आवंटन की मांग की है।

पत्रावली में पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बनाड के खसरा संख्या 56 रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है। जमाबंदी व नक्शा की नकल पत्रावली में लाल स्याही से दर्शा कर संलग्न की है। पत्रावली के पैरा एन/14 में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार प्राधिकरण की बैठक में रखकर निर्णयार्थ प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्ता प्रस्तावानुसार भूमि आवंटन करने बाबत् कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: राजस्थान आवासन मण्डल को ग्राम कैरू के खसरा नम्बर 812 में अतिरिक्त 1000 बीघा भूमि आवंटन बाबत।

राजस्थान आवासन मण्डल के पत्रांक 5661 दिनांक 18.03.2015 द्वारा पूर्व में ग्राम कैरू के खसरा नं. 812 में आवंटित 1500 बीघा भूमि के अतिरिक्त 1000 बीघा आवंटन करने की मांग की गयी है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर का डेढ गुणा दर अर्थात् 6,86,250/— प्रति बीघा का 1.5 गुणा = 10,29,375/— प्रति बीघा के अनुसार ग्राम केरू के खसरा नम्बर 812 में 1000 बीघा भूमि का मांग—पत्र क्रमांक 596 दिनांक 28.07.2015 को भूमि की कीमत राशि 102.94 करोड़ रूपये प्राधिकरण कोष में जमा करवाने हेतु आवासन मण्डल को लिखा जा चुका है। आवासन मण्डल से सहमति प्राप्त होने पर प्रकरण राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पुनः पत्र लिखने का निर्णय लेते हुए प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि

आवंटन तिथि को प्रभावी डी.एल.सी. दर के आधार पर तत्समय प्रचलित आदे ानुसार भूमि की कीमतन राशि वसूल की जावेगी।

प्रस्ताव संख्या 11 :: नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा पूर्व में विकसित कॉलोनियों को नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा पूर्व में विकसित कॉलोनियों के कुछ वार्ड नगर निगम में हस्तान्तरित किये गये परन्तु हस्तान्तरित कॉलोनियों से संबंधित पत्रावलीयां नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं की गई जिसके कारण आम लोगों एंव नगर सुधार न्यास, जोधपुर के पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को पत्रावलियों के अभाव में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, नगर सुधार न्यास के अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय द्वारा तलब की गई पत्रावलियों के संबंध में नगर सुधार न्यास जोधपुर के अधिवक्ताओं द्वारा पत्रावली नगर निगम में हस्तान्तरित हो जाने की बात का कथन करने पर न्यायालय द्वारा नगर निगम जोधपुर से वादग्रस्त मुकदमें की पत्रावली तलब करने पर नगर निगम द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से यह कथन किया जाता है कि उक्त पत्रावली नगर सुधार न्यास द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं की गई। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष नगर सुधार न्यास, जोधपुर की स्थिति सदिग्ध हो जाती है। जोधपुर नगर सुधार न्यास से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का गठन होने के बाद प्राधिकरण की 22.11.2010 को सम्पन्न बैठक में जोधपुर नगर निगम सीमा में आने वाले सभी वार्डो को नगर निगम में हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया जिसकी पालना में समस्त वार्डो की कच्ची बस्ती, कॉलोनियों की पत्रावलीयां नगर निगम को भेजी जानी थी परंतु यह देखने में आया कि नगर निगम को हस्तान्तरित वार्डो की कच्ची बस्तियॉ एंव योजना क्षेत्र व अन्य कॉलोनियों की पत्रावलियॉ जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को नहीं भेजी गई है ऐसी स्थिति में नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने वाले वार्डो की जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में जो भी पत्रावली शेष बची है उन्हें शीघ्र ही नगर निगम में हस्तान्तरित कर सुपुर्दगी की प्राप्ति रसीदें प्राप्त कर उसकी प्रमाणित प्रति नगर सुधार न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ताओं को सुपुर्द करे एंव प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करे की वो न्यास अधिवक्ताओं को निगम में हस्तान्तरित वार्ड एंव उससे संबंधित समस्त पत्रावली नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने का शपथ पत्र न्यायालय में पेश करने हेतु प्रेषित करें एंव नगर निगम को हस्तान्तरित पत्रावलियों की प्रमाणित प्रति विधि शाखा को भिजवाने का निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन कर इस तरह से प्रेषित पत्रावलियों की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपियां विधि शाखा, एन.आई.सी. शाखा (स्केनिंग हेतु) व संबंधित उपायुक्त को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: त्रिपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर हेतु मुख्य लेखाधिकारी को अधिकृत करने के संबंध में।

प्राधिकरण की स्थापना 2009 के बाद आवासीय योजनाओं में लौटरी से प्लाटों का आंवटन किया जाता है तथा प्लाट राशि जमा कराने हेतु सफल आवेदक बैकों से ऋण लेते है जिसमें अनुबंध पर बैक, आवेदक तथा प्राधिकरण के निदेशक वित्त के हस्ताक्षर किए जाते है।

वित्त विभाग ने वर्ष F-1(4)FD/Rev./09 दिनांक 10.05.2013 में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में दो मुख्य लेखाधिकारियों के पद सृजित किए है। इस स्तर के अधिकारी का पदस्थापन भी दिनांक 02.07.2015 को वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कर दिया गया है। निदेशक वित्त का मूल कार्य विकास आयुक्त को सहायता, सलाह देना है तथा लेखा शाखा के कार्यो का पर्यवेक्षण करना है। अतः उक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर हेतु निदेशक वित्त के स्थान पर मुख्य लेखाधिकारी को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–वित्त के साथ साथ मुख्य लेखाधिकारी को उक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: विवेक विहार योजना में विद्युतीकरण कार्य हेतु विद्युत विभाग को तीन 33/11 के.वी. जी.एस.एस. एवं 132/33 के.वी. जी.एस.एस. निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में विद्युतीकरण के कार्य हेतु योजना के सेक्टर सी, ई व जे में जीएसएस हेतु आरक्षित भूमियां 33/11 केवी जीएसएस एवं सेक्टर जे में ओसीएफ हेतु आरक्षित 7908.87 वर्गमीटर भूमि में से 5000 वर्गमीटर भूमि 132/33 केवी जीएसएस हेतु प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) द्वारा निः शुल्क विद्युत विभाग को आवंटन करने की मांग की गयी। विवेक विहार योजना में जीएसएस हेतु आरक्षित भूमिया एवं ओसीएफ भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.स.	सेक्टर	भूखण्ड का आरक्षित प्रकार	क्षेत्रफल
01.	सी	जीएसएस हेतु आरक्षित	1432.00 वर्गमीटर
02.	ई	जीएसएस हेतु आरक्षित	1812.00 वर्गमीटर
03.	जे	जीएसएस हेतु आरक्षित	1674.80 वर्गमीटर
04.	जे	ओसीएफ हेतु आरक्षित	7908.87 वर्गमीटर

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प0 3(208)नविवि/3/95पार्ट जयपुर दिनांक 06.08.2009 के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले पावर टर्मिनर्स व विद्युत वितरण कम्पनियो को भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटित की जावें। प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्ता(विद्युत) की नोटशीट पर टिप्पणी के अनुसार जे.वी.वी.एन.एल. के आदेश क्रमांक 1220 दिनांक 05.07.2011 के अनुसार 33/11 के.वी. जी.एस.एस. हेतु 1000 व.मी. एंव 132 के.वी. जी.एस.एस. हेतु 5000 व.मी. भूमि की आवश्यकता होती है एंव उपरोक्त भूमियां विद्युत विभाग को निःशुल्क आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई है। तीन 33/11 केवी जीएसएस एवं एक 132/33 केवी जीएसएस का निर्माण हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प. 3 (208) नविवि/ 3/ 95 पार्अ दिनांक 6 अगस्त, 2009 के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले पावर टर्मिनर्स व विद्युत वितरण कम्पनियों को भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटित किये जाने के निर्देश प्रदान किये है। इसी प्रकार मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम के आदेश कमांक जेडीवीवीएनएल/ एमडी/ सीई (हैड) /एसई (आरए एण्ड सी) जेयू/ 2011–12/ डी. 1220 दिनांक 5 जुलाई, 2011 के बिन्दु संख्या 6 में अंकित किया गया है कि जी.एस.एस. के निर्माण हेतु भूमि विकासकर्ता/कॉलोनाईजर/स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। ऐसी स्थिति में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं नगरीय विकास विभाग के परिपत्रों में दर को लेकर विरोधाभाषी स्थिति है।

अतः बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दोनों परिपत्रों का हवाला देकर प्रकरण संपूर्ण वस्तुस्थिति के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उक्त परिपत्र अनुसार 33 केवी जीएसएस के निर्माण हेतु 1000 वर्ग मीटर एवं 132 केवी जीएसएस हेतु 5000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होती है। उक्त निर्धारित सीमा से अधिक भूमि विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को किस दर पर आवंटित की जावे इस संबंध में भी नगरीय विकास विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाकर अधिक क्षेत्रफल की भूमि के आवंटन की स्वीकृति भी प्राप्त की जावे।

प्रस्ताव संख्या 14 :: विभिन्न न्यायालय में पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं की नियुक्ति की पुष्टि के संबंध मे।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से विभिन्न न्यायालयों में पैरवी करने के लिए श्री अरूण पारख, श्री कालू खां सलावट एंव श्री चन्द्राशेखर छंगाणी की नियुक्ति दिनांक 05/08/2015 द्वारा कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई है अतः कार्यकारी समिति से अनुमोदन करवाया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: रिसर्जेन्ट राजस्थान प्रोजेक्ट के प्रस्तावों के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को रिसर्जेन्ट राजस्थान प्रोजेक्ट से संबंधित निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनका निम्न सूची अनुसार प्रतिउत्तर/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं:–

क्र. सं.	उदेश्य जिसके लिए भूमि प्रस्तावित की गयी	भूमि का विवरण					
		ग्राम का नाम	खसरा संख्या	कुल रकबा	प्रस्तावित रकबा	किस्म भूमि	भू उपयोग
1.	अपोलो हास्पीटल एन्टरप्राईजेज प्रा.लि., चैन्नई के सुपरस्पेलिटी हास्पीटल स्थापित करने बाबत।	मोगडा खुर्द	295	92.52 एकड	5 एकड एवं 3 एकड़	गैर मुमकिन गौचर	परिधि नियन्त्रण पटटी
		बनाड़	325	14.36 एकड़	5 एकड	बारानी ए	परिधि नियन्त्रण पटटी
2.	फान्टियर लाईफ लाईन बायों कंयर हास्पीटल (इन्टीग्रट हैल्थ कंयर मिनी टाउनशिप) स्थापित करने हेतु	1. डागियावास	574	52 एकड़	50 एकड़	गैर मुमकिन गौचर	ग्रामीण
		2. पुनिया की प्याऊ	235	70.01 एकड़	25 एकड़ पूर्वी हिस्सा	गैर मुमकिन गौचर	ग्रामीण
3.	पार्टनरशिप सम्मेलन 2015 हेतु पर्यटन क्षेत्र में निवेश हेतु भूमि के प्रस्ताव 1. बजट होटल (1,2,3 सितारी हेतु)	1. पुनिया की प्याऊ	235	70.01 एकड़	1200 वर्गमीटर	गैर मुमकिन गौचर	ग्रामीण
	2. चार सितारा होटल	2. पुनिया की प्याऊ	235	70.01 एकड़	6000 वर्गमीटर	गैर मुमकिन गौचर	ग्रामीण

	3. पांच सितारा होटल	3. पुनिया की प्याऊ	235	70.01 एकड़	40,000 वर्गमीटर	गैर मुमकिन गौचर	ग्रामीण
4.	Walmart dks case and carry Stores in all major cities in Rajasthan	मोगडा खुर्द	295	92.52 एकड़	कम्पनी द्वारा प्रस्तावति रकबे का अंकन नही किया है।	गैर मुमकिन गौचर	परिधि नियन्त्रण पटटी
5.	Staywell Hospitality Group को होटल के लिए भूमि बाबत।	1. केरू	1256	113. 82 एकड़	5 एकड़	गैर मुमकिन भाकर	परिधि नियन्त्रण पटटी
6.	राजस्थान विकास संस्थान के लिए मेडिकल कॉलेज एवं सुपरस्पेशलिटी हास्पीटल हेतु	1. झालामण्ड	413	29.78 एकड़	14 एकड़	गैर मुमकिन गौचर	परिधि नियन्त्रण पटटी
		2. कुडी भगतासनी	326	8.66 एकड़	8.66 एकड़	गैर मुमकिन गौचर	नदी के सहारे सहारे 100 फुट – 100 फुट तक वृक्षा रोपण पटटी, उसके बाद आवासीय
7	मनीपाल ग्रुप द्वारा 200– 300 वेड के अस्पताल निर्माण व 200 – 300 करोड रूपये इनवेन्मेंट के संबंध में	बडली	88	320 एकड	4 एकड	गैर मुमकिन छीतर	

रिसर्जेन्ट राजस्थान प्रोजेक्ट में अब तक प्रस्तावित किये गये प्रकरणों की सूची कार्यकारी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुई।

बैठक में रिसर्जेन्ट राजस्थान प्रोजेक्ट में अब तक राज्य सरकार व बी.आई.पी को प्रेषित तथ्यात्मक विवरण व प्रस्तावों तथा उपर्युक्त 7 बिन्दुओं की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: श्री नरपतसिंह चौहान पुत्र श्री अमरसिंह निरस्त भूखण्ड संख्या 534 दन्तोपंत ठेगडी नगर योजना के पुनः विचार बाबत।

1– श्री नरपत सिंह चौहान पुत्र अमर सिंह के द्वारा आवेदन पत्र सख्या 0280, साईज 250 वर्ग मीटर के लिए दतोपन्त ठेंगड़ी नगर योजना मे आवेदन किया गया है। जिसकी आय ग्रुप 12,001 से 20,000 एंव मासिक आय 30,393 प्रतिमाह दर्शायी गई है। जिस पर दिनांक 25.07.

2008 को लॉटरी द्वारा भुखण्ड संख्या 534 का आंवटन हुआ। आंवटन होने पर आंवटन पत्र संख्या 4166 दिनांक 25.08.08 को जारी किया।

2— जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिंनाक 13.04.2010 को प्रस्ताव संख्या 4(1) के निर्णय अनुसार आवेदित भूखण्ड की अधिकतम मासिक आय 20,000 रुपये प्रतिमाह की निर्धारित होने से आंवटित भूखण्ड को आंवटन शाखा पश्चिम के पत्र क्रमांक 9928—32 दिंनाक 28.02.2011 के द्वारा निरस्त किया गया, एंव जमा कराई गई राशि के आवेदन पुस्तिका के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार धरोहर राशि जब्त कर शेष राशि लौटाने की स्वीकृति प्रदान कि गई।

3— नरपत सिंह चौहान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि इस प्रकृति के प्रकरण मे श्री नाथु सिंह भाटी को सुन्दर सिंह भण्डारी योजना मे राज्य कर्मचारी वर्ग मे 12,001 से 20,000 रुपये मे आवेदन किया गया। जिन्हे भूखण्ड संख्या 10 नाप 39x89=324 वर्गमीटर आंवटन किया गया उक्त श्री नाथु सिंह की आय आयवर्ग से अधिक होने के कारण सम्बन्धित आयवर्ग आय वर्ग मे पात्रता नही रखने के कारण प्राधिकरण की बैठक दिंनाक 13.04.2010 मे आंवटित भूखण्ड निरस्त कर दिया गया था।

4— उक्त श्री नाथु सिंह ने निरस्तीकरण आदेश के विरुद्व माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण व राज्य सरकार के विरुद्व एस.बी. सिविल रिट याचिका दायर कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिंनाक 18.10.11 को अपने निर्णय की पद संख्या 8 प्राधिकरण को याचिका कर्ता नाथुसिंह के मामले में पुनर्विचार करने हेतु आदेशित किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना मे प्राधिकरण की बैठक दिंनाक 23. अप्रेल, 2012 को आंवटित का बहाल किया गया।

5— श्री नरपत सिंह चौहान एंव श्री नाथु सिंह भाटी का प्रकरण समान प्रकृति का होने से पुनः विचार करने हेंतु निवेदन किया है। जिस पर श्रीमान सचिव महोदय ने कार्यकारी समिति की बैठक मे प्रस्ताव मे रखने हेतु दिंनाक 06.01.14 को आदेश दिये गए है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30—31 जुलाई, 2014 में प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि आवंटन बहाल किया जाता है। आवंटी से वर्तमान आरक्षित दर से राशि वसूल की जावेगी। इस हेतु आवेदक से सहमति प्राप्त की जावे। रामराज नगर योजना में लम्बित अन्य समानान्तर प्रकरणों में (चाहे वे इस हेतु माननीय न्यायालय में लम्बित है) इसी अनुरूप कार्यवाही कर प्रकरणों का निस्तारण किया जावे। श्री नरपतसिंह चौहान द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड तत्कालीन आरक्षित दर पर आवंटन करने का निवेदन किया है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में इस प्रकरण पर सम्पूर्ण तथ्यों के साथ न्यायोचित प्रस्ताव बनाकर निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि सामानान्तर प्रकृति के समस्त प्रकरणों की सूची बनाकर प्रस्तुत की जावे तथा प्राधिकरण बैठक में प्रकरण प्रस्तुत करते समय श्री नाथूसिंह के वर्णित प्रकरण का भी पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: भूखण्ड संख्या 67, विजयराजे नगर आवासीय योजना बाबत।

दिनांक 27/02/2013 को निलामी द्वारा भूखण्ड संख्या 67, विजयराजे नगर आवासीय योजना की श्री महेश्वर चौधरी, श्री सुरेश कुमार गौड़ एवं श्री चेतन कुमार गौड़ को अधिकतम बोली रूपयें 29050/— प्रति वर्ग मीटर की दर से विक्रय किया गया था। जिसकी 1/4 राशि रूपये 24,00,000 रसीद संख्या 71933 दिनांक 28/02/2013 को + 50,000/— रूपये धरोहर राशि जरिये रसीद सख्या 2094/23 दिनांक 27/02/2013 कुल राशि 24,50,000/— रूपये प्रार्थी गणों द्वारा जमा करवाई गई थी। भूखण्ड की कीमत राशि रूपयें 97,15,482/— रूपये थी।

आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 15/03/2013 को बोली की स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी पालना में बकाया 3/4 राशि रूपये 72,65,482/—रूपयें का डिमाण्ड नोटिस क्रमांक एफ45/निलामी/2013/343 दिनांक 25/03/2013 को जारी किया जाकर बकाया 3/4 राशि जमा कराये जाने की अतिंम तिथि 14/04/2013 थी। किन्तु प्रार्थी ने उक्त दिनांक तक बकाया 3/4 राशि प्राधिकरण कोष में जमा नही करवाई। प्रार्थी गणों द्वारा अध्यक्ष महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को दिनांक 21/01/2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बकाया 3/4 राशि जमा करवाने जाने का निवेदन दिया जिसके अन्तर्गत आयुक्त महोदय द्वारा बोली स्वीकृति की दिनांक 15/03/2013 से एक वर्ष तक अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुये प्रार्थी को बकाया 3/4 राशि 10 प्रतिशत शास्ती एवं 15 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराने का नोटिस क्रमांक 241 दिनांक 11/03/2014 को रूपये 91,17,752/— का जारी किाया गया, किन्तु प्रार्थी द्वारा बकाया शेष राशि जमा नही करवाई गई। प्रार्थी ने महोदय को पुनः दिनांक 9/03/2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बकाया 3/4 राशि पर ब्याज एवं शास्ती के जमा करने का निवेदन किया है।

राजस्थान अरबन इम्पुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) के नियम 147 के परिशिष्ट 'ए' के बिन्दु संख्या (F) (i) के अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा बोली स्वीकृति दिनांक से एक माह में 3/4 राशि जमा करवाई जायेगी यदि उक्त अवधि में 3/4 राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अगले 60 दिन में बोली स्वीकृति दिनांक से 15 प्रातिशत वार्षिक दर से ब्याज वसूल जायेगा। यदि उपरोक्त निर्धारित अवधि में 3/4 राशि जमा करवाने में दोषी रहता है तो बोली दाता द्वारा जमा करवाई गई 1/4 राशि जब्त हो जायेगी व निलाम भूमि स्वतः निरस्त हो जायेगी।

स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि में आयुक्त महोदय द्वारा उक्त निलामी का नियमितिकरण किया जा सकेगा यदि सफल बोली दाता 3/4 राशि, 15 प्रतिशत वार्षिक दर से नियमितिकरण को दिनांक तक का ब्याज व छः माह की अवधि तक 5 प्रतिशत व छः माह से अधिक अवधि पर 10 प्रतिशत की दर से शास्ती जमा करवाने हेतु तैयार हो।

(ii) उक्त स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक से एक वर्ष पश्चात अध्यक्ष को नियमितिकरण का कोई अधिकार नही होगा लेकिन बोली दाता द्वारा बोली की बकाया राशी, ब्याज व शास्ती जो उपाबन्ध (1) में निर्धारित है का भुगतान करने पर ट्रस्ट उक्त अवधि को एक वर्ष बढा सकता है।

(iii) यदि ट्रस्ट अपने हित में राज्य सरकार को उक्त नियमितिकरण हेतु अग्रप्रेषित करता है या खरीददार तथ्यों सहित विवरण राज्य सरकार हो प्रस्तुत करता है तो राज्य सरकार उक्त नियमितिकरण की अनुमति दे सकेगी यदि उपलब्ध (प) में निर्धारित बकायाराशि ब्याज व शास्ती राशि बोली दाता द्वारा भुगतान की जाती है।

अतः निवेदन है कि प्रकरण में बोली स्वीकृति दिनांक 15/03/2013 व स्वतः निरस्तीकरण दिनांक एक माह 60 दिन यानि 14/06/2013 के पश्चात 2 वर्ष की अवधि में होने से नियम 14 परिशिष्ट (ए) के बिन्दु (एफ) के उपाबन्ध (ii) के अन्तर्गत ट्रस्ट के अधिकार क्षैत्र मे है। इस कारण प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर वास्ते निणर्यार्थ पेश हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: भूखण्ड संख्या 12, सेवारत राजकीय कर्मचारी कॉलोनी आवासीय योजना मोगडा कलां

भूखण्ड संख्या 12, सेवारत राजकीय कर्मचारी कॉलोनी आवासीय योजना मोगडा कलां में दिनांक 26.02.2013 को भूखण्डो के आवंटन हेतू लॉटरी कर भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवायी गई । आवंटन पत्र अनुसार भूखण्ड को क्षेत्रफल 418.05 वर्गमीटर है । कनिष्ठ अभियन्ता की वर्तमान मौका रिपोर्ट एवं सहायक नगर नियोजक से प्राप्त साईट प्लान अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 502.04 वर्गमीटर इस प्रकार भूखण्ड का क्षेत्रफल 83.99 वर्गमीटर अधिक हो गया ।

आवंटी द्वारा आवंटन पत्र अनुसार राशि जमा कर दी गयी है । अधिक क्षेत्रफल वाले भाग में Approach Road उपलब्ध नहीं है इसलिए स्वतंत्र भूखण्ड नहीं बनाया जा सकता है । अतः भूखण्ड का अधिक क्षेत्रफल 100.44 वर्गगज नियमन के लिए कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेत प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में अतिरिक्त क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से अधिक है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे तथा प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर आय वर्ग के आगामी उच्च श्रेणी के आय वर्ग अनुसार अतिरिक्त क्षेत्रफल की राशि वसूल की जावे।

प्रस्ताव संख्या 19 :: भूखण्ड संख्या 13, सेवारत राजकीय कर्मचारी कॉलोनी आवासीय योजना मोगडा कलां

भूखण्ड संख्या 13, सेवारत राजकीय कर्मचारी कॉलोनी आवासीय योजना मोगडा कलां में दिनांक 26.02.2013 को भूखण्डो के आवंटन हेतू लॉटरी कर भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवायी गई । आवंटन पत्र अनुसार भूखण्ड को क्षेत्रफल 418.05 वर्गमीटर है । कनिष्ठ अभियन्ता की वर्तमान मौका रिपोर्ट एवं सहायक नगर नियोजक से प्राप्त साईट प्लान अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 525.45 वर्गमीटर इस प्रकार भूखण्ड का क्षेत्रफल 107.40 वर्गमीटर अधिक हो गया ।

आवंटी द्वारा आवंटन पत्र अनुसार राशि जमा कर दी गयी है । अधिक क्षेत्रफल वाले भाग में Approach Road उपलबध नहीं है इसलिए स्वतंत्र भूखण्ड नहीं बनाया जा सकता है। अतः भूखण्ड का अधिक क्षेत्रफल 128.45 वर्गगज नियमन के लिए कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतू प्रस्तावित है । प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में अतिरिक्त क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से अधिक है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे तथा प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर आय वर्ग के आगामी उच्च श्रेणी के आय वर्ग अनुसार अतिरिक्त क्षेत्रफल की राशि वसूल की जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 :: भूखण्ड संख्या 14, सेवारत राजकीय कर्मचारी कॉलोनी आवासीय योजना मोगडा कलां

भूखण्ड संख्या 14, सेवारत राजकीय कर्मचारी कॉलोनी आवासीय योजना मोगडा कलां में दिनांक 26.02.2013 को भूखण्डो के आवंटन हेतू लॉटरी कर भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवायी गई । आवंटन पत्र अनुसार भूखण्ड को क्षेत्रफल 418.05 वर्गमीटर है । कनिष्ठ अभियन्ता की वर्तमान मौका रिपोर्ट एवं सहायक नगर नियोजक से प्राप्त साईट प्लान अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 549.07 वर्गमीटर इस प्रकार भूखण्ड का क्षेत्रफल 131.02 अधिक हो गया ।

आवंटी द्वारा आवंटन पत्र अनुसार राशि जमा कर दी गयी है । अधिक क्षेत्रफल वाले भाग में Approach Road उपलबध नहीं है इसलिए स्वतंत्र भूखण्ड नहीं बनाया जा सकता है। अतः भूखण्ड का अधिक क्षेत्रफल 156.70 वर्गगज नियमन के लिए कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तावित है । प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में अतिरिक्त क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से अधिक है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे तथा प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर आय वर्ग के आगामी उच्च श्रेणी के आय वर्ग अनुसार अतिरिक्त क्षेत्रफल की राशि वसूल की जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 :: भूखण्ड संख्या 314, राजकीय कर्मचारी कॉलोनी आवासीय योजना मोगडा कलां

1. आवंटित भूखण्ड एवं योजना का नाम :– 314 राज्य कर्मचारी आवासीय योजना मोगड.ा कलां
2. आवंटन के लिए विसंगति का विवरण :– नही
3. बिन्दु जो कार्यकारी समिति के स्तर पर लिया जाना है :– राज्य कर्मचारी आवासीय योजना मोगड.ा कलां योजना में दिनांक 26.02.2013 को भूखण्डो के आवंटन हेतु लॉटरी कर भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवाने हेतु आवंटन पत्र जारी किये गये थे। आवंटी को आवंटन पत्र प्राप्ति के 30 दिवसों में भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवानी आवश्यक थी। पश्चात् आगामी 60 दिवसो में आवंटि 15 वार्षिक ब्याज से राशि जमा करवा सकता था। ब्याज आवंटन पत्र जारी करने की तिथी से देय होगा। आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नही कराने पर भूखण्ड स्वतः निरस्तीकरण की भाषा में आ जाता है। भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(5) के अनुसार उक्त स्वतः रद् करने की तिथी से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् सभापति के पास भूमि का ऐसा आवंटन नियमित करने की कोई शक्ति नही होगी, लेकिन न्यास के पास आवंटी द्वारा भूमि के लागत की राशि और खण्ड एक में उपबंधित अनुसार ब्याज और शास्ती भुगतान करने पर एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 09.06.2009 के प्रस्ताव संख्या 17(5) के अनुसार The Rajasthan Improvrement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 में जहां न्यास अंकित है व समस्त शक्तियां कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त है। उपरोक्तानुसार राज्य कर्मचारी आवासीय योजना मोगड.ा कलां आवासीय योजना में निम्नानुसार प्रकरण अनुमोदित प्रस्तुत है :–

क्रं. सं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटन पत्र जारी होने की तिथी	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक से एक वर्ष की दिनांक
1	श्री निलेश जाखड. पुत्र श्री करणा राम	314 राज्य कर्मचारी आवासीय योजना मोगड.ा कलां	25.04.2013	22.08.2013	21.08.2014

उक्त प्रकरण में स्वतः रदद् करने की तिथी से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति कर राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु भिजवाना प्रस्तावित है । प्रकरण में वसूली योग्य राशि निम्न प्रकार से है –

1. भूखण्ड की बकाया राशि 515204/–
2. 10 प्रतिशत शास्ती 6 माह पश्चात् एक बारगी 51520/–
3. 15 प्रतिशत ब्याज प्रतिदिन राशि जमा होने के तिथी तक 212/ प्रतिदिन से

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: भूखण्ड संख्या 188, विजयराजे नगर आवासीय योजना

1. आवंटित भूखण्ड एवं योजना का नाम :– 188, विजयाराजे नगर आवासीय योजना
2. आवंटन के लिए विसंगति का विवरण :– कॉर्नर भूखण्ड का आवंटन
3. बिन्दु जो कार्यकारी समिति के स्तर पर लिया जाना है :– जोधपुर विाकस प्राधिकरण, जाधेपुर की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2012 के प्रस्ताव संख्या 9(5) के प्रस्ताव में निर्णय लिया कि आरक्षित दर की 20 प्रतिशत राशि अतिरक्त राशि के रूप में जमा करवायी जाये प्राथीया श्रीमति सुनिता पत्नी श्री सुभाष चन्द्र ने भूखण्ड संख्या 188 विजयाराजे नगर साईट प्लान अनुसार कॉर्नर का भूखण्ड नही दिया जा रहा है प्रार्थी ने निवेदन किया है कि अतिरिक्त भूमि की राशि नियमानुसार एवं ब्याज देने को तैयार हूँ ।

प्राप्त साईट प्लॉन अनुसार भूखण्ड की साईज 30 X 60 = 200 वर्गगज हैं । जिसका आवंटन पत्र जारी किया गया । कॉर्नर भूखण्ड में शेष क्षेत्रफल 125 वर्गगज अधिक हैं जोधपुर विकास प्राधिकरण ,जोधपुर की तृतीय बैठक दिनांक 9 जून 2009 के प्रस्ताव संख्या 17 योजना के बढ़ते हुए क्षेत्रफल के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि अधिकतम 100 वर्गगज तक बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन किया जा सकता है तथा नियमित क्षेत्रफल की राशि भूखण्ड आवंटन की दुगनी दर से वसूल की जावेगी। उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में उचित निर्णयार्थ प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में अतिरिक्त क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से अधिक है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे तथा प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर आय वर्ग के आगामी उच्च श्रेणी के आय वर्ग अनुसार अथवा भूखण्ड़ आवंटन की दुगुनी दर से जो भी अधिक हो अतिरिक्त क्षेत्रफल की राशि वसूल की जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 :: भूखण्ड संख्या 16, सेवारत राजकीय अधिकारी व कर्मचारी कॉलोनी

1. आवंटित भूखण्ड एवं योजना का नाम :– 16 सेवारत राजकीय अधिकारी व कर्मचारी कॉलोनी
2. आवंटन के लिए विसंगति का विवरण :– नहीं
3. बिन्दु जो कार्यकारी समिति के स्तर पर लिया जाना है :– सेवारत राजकीय अधिकारी व कर्मचारी कॉलोनी मोगड़ा कलां में दिनांक 26.02.2013 को भूखण्डो के आवंटन हेतु लॉटरी कर भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवायी गई। आवंटन पत्र अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 418.05 वर्गमीटर है। कनिष्ठ अभियन्ता की वर्तमान मौका रिर्पोट एवं सहायक नगर नियोजक से प्राप्त साईट प्लान अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 303.08 वर्गमीटर हो गया है। इस प्रकार भूखण्ड का क्षेत्रफल 114.97 वर्गमीटर कम है ।

आवंटी द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी गयी है । कम क्षेत्रफल का भूखण्ड लेना नहीं चाहता है अतः आवंटित भूखण्ड की बजाय इसी नाप का रिक्त भूखण्ड इसी योजना में आवंटित जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी की समिति की बैठक में रखने हेतू प्रस्तुत है । भूखण्ड संख्या 2, 3, 4 इसी नाप के रिक्त है । उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में उचित निर्णयार्थ प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्तावानुसार अन्य वैकल्पिक समकक्ष भूखण्ड दिये जाने निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: श्री भरतसिंह कोठारी को आवंटित भूखण्ड संख्या 79 सुभाषनगर के बदले आवंटित अन्य भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण के संबंध में।

श्री भरतसिंह कोठारी की लॉटरी दिनांक 23 अक्टूबर, 1983 द्वारा भूखण्ड संख्या 79, सुभाषनगर आवंटित किया गया था । प्रार्थी उक्त आवंटित भूखण्ड की कीमत राशि जमा करवाकर लाईसेंस दिनांक 28 अप्रैल 1987 को प्राप्त कर लिया था । प्रार्थी को भूखण्ड भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका । प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 12/1993 दायर की गयी थी । माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3 फरवरी, 2002 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी को भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जावें अन्यथा आवंटित भूखण्ड के बदले अन्य योजना में आवंटन किया जावे ।

प्रकरण न्यास की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2004 में प्रस्ताव संख्या 2 में निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या 79, सुभाषनगर के बदले में चौखा योजना के खसरा संख्या 702, 703, 704 में भूखण्ड संख्या 13 आवंटित किया जावे । इस पर प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि व उक्त भूखण्ड लेने को इच्छुक नहीं है जिसे निरस्त कर अन्य खसरा संख्या 753 में भूखण्ड आवंटन किया जावे । इस पर पूर्व आवंटित भूखण्ड को निरस्त करते हुए भूखण्ड संख्या 8 खसरा संख्या 753 चौखा में भूखण्ड आवंटन किया गया ।

श्री भरतसिंह कोठारी के आममुख्त्यार श्री हरिराम पुत्र श्री भैरूलाल ने उक्त भूखण्ड श्रीमति जमनादेवी पत्नि श्री हरिराम को दिनांक 11 मार्च, 1197 को बेचान किया गया । श्रीमति जमनादेवी द्वारा उक्त भूखण्ड अपने नाम करने की माग की जा रही है । इस संबंध में यह स्थिति स्पष्ट होती है कि श्री भरतसिंह कोठारी द्वारा श्री हरिराम को भूखण्ड संख्या 79, सुभाषनगर हेतू आम मुख्त्यारनामा दिया गया था। उक्त भूखण्ड के बदले में अन्ततः भूखण्ड संख्या 8 खसरा संख्या 753 चौखा आवंटित किया गया है । जिसे आम मुख्त्यार श्री हरिराम द्वारा विक्रय किया गया है । अतः ऐसे में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण के संबंध मे निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण प्राधिकारी की अधिकारिता का है। अतः संबंधित सक्षम प्राधिकारी अपने स्तर पर प्रकरण का परीक्षण कर अपने स्तर पर नियमानुसार प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करे।

प्रस्ताव संख्या 25 :: भूखण्ड संख्या 129, दन्तोपंत ढेगडी नगर के संबंध में।

श्रीमति कमला भाटी पत्नि स्व. श्री मांगीलाल को आवटित दिनांक 25.07.2008 द्वारा भूखण्ड संख्या 129, दन्तोपंत ढेगडी नगर योजना में आवंटित किया गया था । जिसका माप क्षेत्रफल 113.81 वर्गमीटर है। प्रार्थी उक्त आवंटित भूखण्ड की कीमत राशि जमा करवाने के पश्चात लीजडीड की मांग करने पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा उक्त भूखण्ड की मौका रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड संख्या 129 की नहर से रोड की दूरी 40 फुट है । परन्तु नहर के साथ–साथ रोड की चौडाई 60 फुट हे, जिस वजह से इस प्लॉट का पीछे का करीब 20 फुट हिस्सा रोड में आ रहा है । अगर रोड की चौडाई 60 फुट से घटाकर 30 फुट कर दी जाए तो भूखण्ड सख्या 129 स्वीकृत प्लान के अनुसार यही स्थित हो जाएगा अन्यथा अन्यत्र शिफट करना पडेगा ।

प्रार्थीया कमला भाटी पत्नि श्री मांगीलाल ने प्राधिकरण के विरूद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष (द्वितीय) जोधपुर में वाद प्रस्तुत किया । प्रकरण संख्या 419/2011 के निर्णय

दिनांक 30.09.2013 के द्वारा प्रार्थीया को दन्तोपंत ढेगडी नगर में भूखण्ड संख्या 129 रोड में आने के कारण उसके बदले में राजीव गांधी नगर योजना चौखा में 113.81 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय किया गया तथा भूखण्ड संख्या 488 सेक्टर–आई, राजीव गांधी नगर योजना में आवंटन करते हुए आंवटन पत्र क्रमांक एफ46/आवंटन(पश्चिम)2015/159 दिनांक 20.04.2015 जारी किया गया । जिसमें पूर्व भूखण्ड व वर्तमान भूखण्ड राजीव गांधी नगर की वर्तमान आरक्षित दर की गणना करतें हुए बकाया राशि 1,64,184 रूपये जमा कराने हेतू 30 दिवस का समय दिया गया है । प्रार्थीया ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच संख्या 2, जोधपुर जरिये अधिवक्ता से पत्र भेज कर भूखण्ड संख्या 488 सेक्टर–आई, राजीव गांधी नगर की बकाया राशि का भुगतान जमा करानें में असमर्थता जतायी है ।

प्रार्थीया द्वारा पूर्व भूखण्ड संख्या 129 दन्तोपंत ढेगडी नगर की कीमत के अनुसार अन्य भूखण्ड की मांग की है । अतः भूखण्ड संख्या 129 दन्तोपंत ढेगडी नगर को अन्यत्र शिफट करने के निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श पश्चात् माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष के निर्णय के कारण सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को समकक्ष वैल्यू का भूखण्ड आवंटित किया जावें।

प्रस्ताव संख्या 26 :: भूखण्ड संख्या 158, सैक्टर–3, रामराज नगर योजना के संबंध में।

श्री नरेश कुमार छंगाणी पुत्र श्री दुर्गादास छंगाणी को दिनांक 14.07.2008 द्वारा भूखण्ड संख्या 158, सेक्टर–3, रामराज नगर योजना में आवंटित किया गया था । जिसका माप क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर है। प्रार्थी नरेश कुमार छगाणी द्वारा न्यास की योजना रामराज नगर में भूखण्ड आवंटन हेतू निर्धारित आवेदन पत्र व आवश्यक प्रमाण पत्र सलंग्न कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदन पत्र के बिन्दु सख्या 6(3) आय वर्ग 6001 से 12000 में टिक कर दिया गया साथ ही बिन्दु संख्या 7(ब) पर भी टिक किया जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर है ।

न्यास द्वारा निकाली गयी लॉटरी दिनांक 14.07.2008 के अनुसार श्री नरेश कुमार को भूखण्ड संख्या 158 सेक्टर रामराज नगर जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर का आवंटन हुआ है । तथा दिनांक 21.07.2008 को जारी आवंटन पत्र के अनुसार दर्शायी गयी आवंटन राशि आवंटी श्री नरेश कुमार द्वारा दिनांक 20.08.2008 को निर्धारित समय सीमा में जमा करवा दी । श्री नरेश कुमार द्वारा बिन्दु संख्या 6(3) आय वर्ग 6001 से 12000 मासिक के अनुसार आय प्रमाण पत्र रूपये 8000.00 मासिक का पेश किया । निर्धारित आय वर्ग के अनुसार आवेदन को 83.61 वर्गमीटर के स्थान पर 113.83 वर्गमीटर व 178.66 व 217.94 वर्गमीटर का भूखण्ड टिक करना था । जबकि प्रार्थी द्वारा भिन्न आय वर्ग का भूखण्ड का चिन्हीकरण कर लिया । इस प्रकार प्रकरण भिन्न आय वर्ग में आवंटन का हो गया । जिसे आय वर्ग में अन्तर का नाम भी दिया गया ।

ऐसे समस्त प्रकरणों का निस्तारण करने के लिये प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.04.2010 के प्रस्ताव संख्या 4(1) में निर्णय लिया गया की ऐसे आवंटियो को आय वर्ग अन्तर राशि एवं शास्ती वसूल की जावे एवं वही भूखण्ड दिया जावे जो प्रार्थी को आवंटन हुआ है ।

निर्णय की पालना के अनुसार आय वर्ग में अन्तर राशि व शास्ती कुल रूपये 44,914 /– का मांग पत्र दिनांक 29.07.2010 को जारी किया । आवंटी द्वारा उक्त राशि दिनांक 01.01.2013 को रसीद संख्या 9001/65209 जमा करवाई गयी जो लगभग 3 वर्ष 6 माह पश्चात् विलम्ब से जमा हुए हैं । अतः उक्त प्रकरण निर्णयार्थ प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण राज्य सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रेषित किया जावे तथा दिनांक 1 जनवरी, 2013 को नियमानुसार निर्धारित समय अवधि पश्चात् राशि किस आधार पर जमा हुई है, के संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट आयुक्त महोदय को प्रस्तुत की जावे।

प्रस्ताव संख्या 27 :: आवास संख्या सी–267, वाम्बे योजना चौखा के संबंध में।

नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा श्री गोरखाराम को आवास संख्या सी–267, वाम्बे याजना चौखा में फार्म नम्बर 9159 लॉटरी द्वारा खुला। लेकिन लॉटरी में नाम मीणा देवी/लक्ष्मणदास कम्प्यूटर से अंकित किया हुआ था। नगर विकास न्यास, जोधपुर की बैठक दिनांक 25 मार्च, 2008 के प्रस्ताव संख्या 6 (65) द्वारा निर्णय लिया गया कि कम्प्यूटर द्वारा की गयी त्रुटि को सही करने हेतु आवंटित आवास नाम के अनुसार आवंटन–पत्र जारी किया जावे।

प्रार्थी द्वारा माननीय जिला उपभोक्ता मंच व राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया गया। माननीय जिला उपभोक्ता मंच व राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा न्यास के निर्णय को सही नहीं मानकर मत व्यक्त किया गया कि न्यास द्वारा उक्त निर्णय लॉटरी खुलने के पश्चात् अपनी सुविधा एवं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किया गया है। प्रार्थी को इसी योजना में अन्य रिक्त आवास में से आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखकर यह निर्णय लिया जाना विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्तावानुसार अन्य रिक्त आवास परीक्षणोरान्त आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: अफोंडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 चौखा में एक ही व्यक्ति को दो फ्लेट व पति व पत्नि को फ्लेट आंवटित में से एक को निरस्त करने बाबत्

1. अफोंडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 चौखा में लॉटरी द्वारा दिनांक 14.7.2011 को श्रीमती सरोज मोदी पत्नि श्री सुमवेश मोदी को फ्लेट संख्या ई–09–04 व एल–13–202 दो फ्लेट आवंटित किये गये।प्रार्थीनी द्वारा फ्लेट संख्या ई–09–04 के 2,40,000/– व एल–13–202 के 3,75,000/– जमा करवा दिये। प्रार्थीनी द्वारा ई.डब्लू.जी मे आय 4000/– व एल.आई.जी.एच मे आय 9500रू. बताई गई है। प्रार्थी को ई. डब्लू.एस मे ई–09704 का लीजडीड दिनांक 30.5.2014 को जारी किया जा चुका है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति को फ्लेट संख्या एल–13–202व ई–09–04 दोनों ही फ्लेट आवंटित हो गये है। व ई–09–04 का लीज मुक्ति प्रमाण पत्र दिनांक 9.6.2014 को जारी किया जाचुका था। तथा एल.आई.जी मे एल–13–202 मे अब तक	एक ही व्यक्ति को फ्लेट संख्या ई–09–04 व एल–13–202 दोनों ही फ्लेट आवंटित हो चुके है। एल–13–202 निरस्त योग्य है। प्रार्थीनी द्वारा एल–13–202 बैंक से ऋण प्राप्त नहीं है अतः निरस्त करने एंव जमा राशि लौटाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है:–

लीजडीड जारी नहीं किया गया है। अतः प्रकरण निरस्त करने हेतू कार्यकारी समिति मे रखा जाना प्रस्तावित है।	
2. अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिशी 2009 मे फ्लेट संख्या एल–13–02 श्री तेजराज पुत्र सम्पतराज को लॉटरी द्वारा दिनांक 14.7.2011 को आवंटित हुआ।व प्रार्थी इस फ्लेट पर बैंक से 1,00,00/– रूपये का लॉन ले रखा है। फ्लेट की आवंटन राशि 375000/– प्राधिकरण मे जमा करवा दिये है। श्री तेजराज द्वारा फ्लेट संख्या एल–13–02 मे आय 7000/– बताई गई है। और फ्लेट संख्या ई–09–103 अर्फोडेबल का श्रीमती जसोदा पत्नि तेजराज को लॉटरी द्वारा दिनांक 14.7.2011 को आवंटित हुआ। पत्नि द्वारा ई–09–103 फ्लेट मे आवंटन राशि 240000/– प्राधिकरण मे जमा करवा दिये है।अब पत्नि द्वारा फ्लेट मे आय 2500/– बताई है। अतः पति व पत्नि दोनों को फ्लेट आवंटित हुए है अतः फ्लेट संख्या एल–13–02 श्री तेजराज द्वारा बैंक से लॉन ले रखा है पत्नि के फ्लेट संख्या ई–09–103 में किसी प्रकार लॉन नही ले रखा है। अतः दोनों में किस फ्लेट को निरस्त करना प्रकरण कार्यकारी समिति में रखा जाना प्रस्तावित है।	फ्लेट संख्या एल–13–02 श्री तेजराज को आवंटन है जिसमें प्रार्थी द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त किया जा चुका है। फ्लेट संख्या ई–09–103 श्रीमती जसोदा पत्नि तेजराज को आवंटित है। जिसमें बैंक से ऋण प्राप्त नहीं है। अतः श्रीमति जसोदा का फ्लेट ई–09–103 को निरस्त किया जाना है। आवेदक की राशि लौटाने के लिए निर्णय लिया जाने हेतु प्रकरण समिति मे रखी जाने हेतु प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत हुए। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावों को प्रस्तावानुसार आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे और अन्य प्रकरणों को चिन्हित कर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावे तथा यह भी चिन्हित किया जावे कि किन किन प्रकरणों में पति–पत्नि दोनों को आवंटित दोनों फलेटों पर ऋण लिया जा चुका है।

प्रस्ताव संख्या 29 :: संशोधन किये जाने के संबंध में।

1– प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में स्वीकृत की गइ SOP में कई आइटम में प्रत्यायोजित किए गए अधिकार में स्वायत शासन विभाग द्वारा जारी SOP जनवरी 2015 तथा राज्य सरकार द्वारा PWD के लिए जारी SOP के प्रावधानों को आधार रखते हुए संशोधन प्रस्तावित किया जाना प्रस्तावित है तथा साथ ही संशोधित SOP शीघ्र राज्य सरकार से अधिसूचित करवायी जानी प्रस्तावित है। अनुमोदन के बाद SOP जारी करने हुए राज्य सरकार को वेट करने के लिए भेजी जानी प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान एस.ओ.पी. में आवश्यक संशोधन पश्चात् राज्य सरकार को नोटिफिकेशन हेतु प्रेषित की जावे।

2— कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 10.02.2011 में प्राधिकरण के सामान्य कार्य काज हेतु सामान्य प्रशासन के लिए विभिन्न कार्यो, सामानों और सेवाओं के प्रोक्योरमेन्ट के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकरण निर्देशों में वरिष्ठ लेखाधिकारी के स्थान पर मुख्य लेखाधिकारी का पदनाम प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। क्योकि वरिष्ठ लेखाधिकारी पद वर्तमान में प्राधिकरण में स्वीकृत नही है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

3— वर्तमान में अकाउटिंग सिस्टम जो प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया है व टेली प्रोग्राम पर आधारित नही है। यही तैयार किये गये सोफ्टवेयर पर लेखे संधारित किये जा रहे है। साधारण खाता बही के रूप में दिन प्रति लेखो का शीर्षवार संधारण हो रहा है परन्तु संधारित लेखो से विभिन्न आवयश्यक रिपोर्ट यथा भुगतान प्राप्ति लेखा, आय—व्यय लेखा तथा खाता शेष बही का स्वय मेव संधारण फलित नही हो रहा है साथ ही अंकमिलान भी उचित रूप से संधारित नही है। अतएवं अकाउटिंग से संबंधी कार्य की कार्य योजना (Work Plan) व तत्काल कारीत सोफ्टवेयर या टेली के आधार पर अकाउटिंग सुनिश्चित की जानी आवश्यक है अभी कार्य योजना में रोकड़ शाखा का भी पूर्वरूपेन कम्प्यूटरायजेशन यथा आन लाइन व्यवस्था की जानी है। पूर्व स्थापित व्यवस्था अनुसार 31.03.2015 का क्लोजिंग बैलेंस लेते हुए 01.04.2015 से शत प्रतिशत डबल एन्ट्री एकाउटिंग सिस्टम के आधार पर अकाउटिंग व्यवस्था प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव लिया जाना है।

कार्य योजना के बिन्दु इस प्रकार होगेः—

1- Openning Balance 01/04/2015 के आधार समस्त Entries की पूर्ति की जाने पर 01.04.2015 से अकाउटिंग पूर्ण रूप से डबल एन्ट्री एकाउटिंग सिस्टम के आधार पर NIC से तैयार Software के आधार पर अथवा टेली सोफ्टवेयर के समन्वय के आधार पर व्यवस्था करनी।

2— रोकड़ शाखा का पूर्ण कम्प्युटराईज्ड सिस्टम से लेन—देन तथा RTGS System लागु करना।

3— बैक खातो के प्रति सप्ताह आधार पर अंकमिलान की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

4— प्रतिदिन बैलेंस शीट का तैयार हो इस कार्य हेतु सनदी लेखाकार की नियुक्ति का प्रस्ताव लिया जाना जिसमें दिनांक 01.04.2015 से 31.08.2015 तक के लेखो का डबल एंट्री एकाउटिंग सिस्टम से वाउचर परीक्षण बाद संधारण तथा उत्तरोत्तर 01.09.2015 से लेखा का इसी पद्धति से संधारण हो जिसमे की प्रतिदिन बैलेंस शीट व अंकमिलान का कार्य प्रति कारीत हो सके।

सनदी लेखाकार से नियमित टेक्स जमाओं के साथ—साथ टेक्स विभागों से संबंधित दायर वाद, रीटों, अपीलों में समन्वयन का कार्य भी संपादित करवाया जाना है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार सनदी लेखाकार (चार्टड अकाउण्टेन्ट) की नियुक्ति की जाकर प्रस्तावानुसार कार्य सम्पादित करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: विकास कार्यों के संबंध में।

1– कार्यकारी समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में 526 विकास कार्य विड्रा किये गये थे। इस संबंध में अद्यतन प्रगति अग्रलिखित प्रकार से है। इस क्रम में 478 माप पुस्तिकाएं लेखा शाखा में जमा करवायी जा चुकी है जिनका सत्यापन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में सत्यापन कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 30 विकास कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण माप पुस्तिकाएं जारी नहीं की गयी, 2 विकास कार्यों की माप पुस्तिकाएं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जांच हेतु भेजी गयी है, इसके अलावा शेष माप पुस्तिकाएं अभियांत्रिकी व लेखा शाखा से प्राप्त की जा रही है। अतः इस संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि:–

1– समस्त विड्रा कार्यों की माप पुस्तिकाएं (एम.बी.) तुरन्त डबल लॉक में सत्यापन के बाद जमा करवायी जावे,
2– जो माप पुस्तिकाएं (एम.बी.) अब तक प्राप्त नहीं हुई है, के संबंध में संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
3– संबंधित अधिशाषी अभियन्ता व लेखा शाखा के माप पुस्तिकाओं (एम.बी.) पर सत्यापन के समय संयुक्त हस्ताक्षर होंगे,
4– सभी माप पुस्तिकाओं की शतप्रतिशत एन.आई.सी. से स्कैनिंग करवायी जावे।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही निदेशक अभियांत्रिकी व निदेशक वित द्वारा सम्पादित की जावेगी।

2– वर्तमान में प्रगतिरत् 280 कार्यों के क्रम में 248 माप पुस्तिकाओं की जांच की जा चुकी है, 9 माप पुस्तिका भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में, 20 विकास कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण माप पुस्तिकाएं जारी नहीं की गई है शेष 3 विकास कार्यो की माप पुस्तिकाएं लेखा व अभियांत्रिकी शाखा से प्राप्त की जा रही है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चल रहे विकास कार्यों की माप पुस्तिकाओं का निरीक्षण उपरान्त कार्यो का भौतिक सत्यापन किया जावे(as per G-shedule)। इस संबंध में निदेशक–वित्त को प्रशासनिक आदेश जारी करने की कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

3– प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में सांसद महोदय / विधायक महोदय की अनुशंषा / मांग को मद्देनजर रखते हुए विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है। इस हेतु 25.00 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है। उक्त 25.00 करोड़ की राशि में से सांसद महोदय / विधायक महोदय की अनुशंषा / मांग पर कार्य की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए विकास कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:–

1– मांग एवं कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। विकास कार्य करवाने के प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु सांसद महोदय / विधायक महोदय को निदेशक–अभियांत्रिकी पत्र लिखकर प्रस्ताव प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे,

2– चल रहे 280 विकास कार्यों को प्राथमिकता अनुसार उनका तीन श्रेणी में श्रेणीकरण किया जावे, जिन पर अरजेन्सी अनुसार राशि व्यय की जा सके।

3– क्षतिग्रस्त सडके जो डिफेक्ट लाईबलिटी पीरियड में है, को प्राथमिकता से चिन्हित कर दुरूस्त कराने का कार्य माह सितम्बर, 2015 में पूर्ण करवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 31 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित लोरडी पण्डित जी, नागौर रोड़, जोधपुर में जल वितरण प्रणाली बिछाने बाबत।

1.	कार्य का नाम	जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित लोरडी पण्डित जी, नागौर रोड़, जोधपुर में जल वितरण प्रणाली बिछाने बाबत।
2	अनुमानित लागत	रू. 450.17 लाख (जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त संलग्न तकमीना अनुसार शेयर राशि)
3	लाभांवित क्षेत्र	लोरडी पण्डित जी, नागौर रोड़, जोधपुर
4	योजना /गैर योजना	योजना
5	Salient Features of the Proposal with Abstract of Cost received from PHE	Lordi Panditji is a planned cluster scheme of Jodhpur Development Authority situated in North East of Jodhpur city spreading in area of about 164 Hectares. The cluster is on proposed ring road of Jodhpur city, 1 Km from Jodhpur Nagaur National Highway No. 65. The entire 164 Hectare cluster of Lordi Panditji has been planned for development Education hub at Jodhpur. The planned land use of the cluster is encouraging for institutes affiliated to the field of education. The important areas exclusively reserved for educational purpose are as: • For Engineering Colleges –At two locations about 4 Hectare each. • For University – About 16 Hectare • For Medical College with Hospital – About 12.25 Hectare In addition there are about 40 Plots varying from 0.3 Heatare to 3.0 Hectare useful for development of Technical University, Homeopathy University, Ayurvedic University, Unani Institute, Nurshing college, Management Institutes, IT Park, Coaching Institutes, Sanskrit College, Institute for foreign language, Physical training institute, etc. as per land requirement plans. Proposals for external water supply in the cluster were invited from PHED. PHED has planned combined water supply feeder for NIFT, Cairn Energy Campus, Sardar Patel Police university, Ayurvedic University & Lordi Pandit ji JoDA Scheme as an external development work. The total combined demand calculated by PHED is 4 MLD out of which demand of Lordi Panditji scheme (as per approved map) has been envisaged as 1 MLD and accordingly the share cost of Rs. 450.17 lacs has been calculated as below: S No. | Particulars | Amount (Rs. In lacs)

		1	Pipe line work (300 mm DI K-7, 18000 M).	592.81
		2	Elevated Service Reservoir (5 Nos.).	480.00
		3	Pumping Machineries (2 nos).	19.77
		4	Road and Highway crossing.	12.00
		5	Construction of Pump House & other ancillary structures.	35.00
		6	New Power connection.	10.00
		7	Bulk flow water meters.	8.00
		8	Survey investigation & detailed Engineering.	15.00
		9	Operation & Maintenance for 5 years	142.34
		10	Proportionate share cost of infrastructures required to be developed at Surpura Head works @ Rs. 100 lacs per MLD	400.00
			TOTAL	1714.92
			Adding Contingencies @ 5%	85.75
			Sub Total	1800.67
			Adding Departmental supervision charges @ 15.5%	315.12
			Grand Total	**2115.78**
			Say Rs.	**2116.00**

6	Calculation of Jodhpur Development Authority Share Cost related to Lordi Panditji Scheme:	The proposal submitted by PHED as above is combined for following institutes with mentioned demand:

S. No.	Name of Institute	Demand (MLD)
1	NIFT	0.50
2	Cairn Energy Campus	0.50
3	Sardar Patel Police university	1.00
4	Ayurvedic University	1.00
5	Lordi Pandit ji	1.00
	Total	**4.00**

Share Amount Demanded by PHED = 2116/4
= **529.00 Lacs**
Share amount calculated by JoDA = 1714.92/4
=428.73 Lacs
Add Contingenct Charges @ 5% = 21.44 Lacs
Total = 450.17 Lacs

7	Recommendation/ Comment of Director Engineering:	Lordi Panditji is a planned cluster scheme of Jodhpur Development Authority at Nagaur Road, Jodhpur. Out of 4 MLD, demand of Lordi Panditji scheme (as per approved map) has been envisaged as 1 MLD and

		accordingly the share cost has been calculated. PHED has planned combined water supply feeder for NIFT, Cairn Energy Campus, Sardar Patel Police university, Ayurvedic University & Lordi Pandit ji JoDA Scheme as an external development work. JoDA shall plan internal development WS works as per technical feasibility of scheme to be executed by PHED for providing water source. Through this PHED proposal costing Rs. 450.17 lacs, having objective to develop water supply scheme as per ultimate demand for year 2041, it is aimed to provide adequate coverage and a long-term solution to the water supply system for the above mentioned locality by providing surface water. **Therefore A&F sanction is recommended.**

Proposal submitted for accord of approval before EC.

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 32 :: Construction and commissioning of 6 MLD capacity Sewage Treatment Plant at Uchiarda including Operation & Maintenance period of 15 years.

1	Name of Work:	**Construction and commissioning of 6 MLD capacity Sewage Treatment Plant at Uchiarda including Operation & Maintenance period of 15 years.**		
2	Estimated Cost :	**750.00 Lacs**		
3	Benefited Area :	Ward no.57 and downstream en- route area (Saran Nagar, Kumharo Ki Dhani, Digari, Naino Ki Dhani etc.)		
4	JDA Scheme or Non scheme :	Scheme		
5	Salient Features of the Proposal with Preliminary Abstract of Cost as enclosed:	S No.	Particulars	Amount (Rs. In lacs)
		1	Construction and commissioning of 6 MLD capacity STP at Uchiarda with all civil, electrical and mechanical work, including operation & maintenance period of 15 years. (6 MLD @ Rs. 125.00 Lacs per MLD)	750.00
			TOTAL	**750.00**
6	Reference of directions issued by NGT:	Conveyed vide **Joint Secretary I, UDH, Jaipur letter no.** प. 3(451) नविवि/3/2013 दिनांक 16.02.15 as per directions received from Rajasthan Pollution Control Board, under the section 33A of the water (prevention and control of pollution) Act, 1974 (point no. 10 described in Rajasthan State Pollution control Board letter dated 04.02.2015). It has been directed		

		to: 1. Comply Hon'ble NGT, Central zone Bench, Bhopal order dated 11th December 2014 in the matter of original application no. 118/2013(THC)(CZ), Madhusudan Sharma Vs State of Rajasthan and Ors 2. Take proper steps for implementation of establishment of Sewage Treatment Plants of adequate capacity in State. 3. Expedite the work of construction of the STP projects in the state. 4. The STP's which have completed construction works should be made operational immediately.
7	Recommendation/ Comment of Director Engineering:	As per the approved Sewerage Master plan of Jodhpur City for year 2031 Sewage Treatment plant of 6 MLD capacity has been proposed at Uchiarda. The proposed STP shall be used for treatment of raw sewage from Ward no.57 and downstream en- route area (Saran Nagar, Kumharo Ki Dhani, Digari, Naino Ki Dhani etc.) where laying of sewer network is almost complete under JoDA awarded contract package E-2. Also in compliance of directions received from Rajasthan pollution control board as per orders of National Green Tribunal, work of establishing Sewage treatment plant at Uchiarda is of URGENT requirement. Through this proposal costing Rs. 750.00 lacs, having objective to develop 6 MLD capacity Sewage Treatment Plant at Uchiarda, as per ultimate demand for year 2031, it is aimed to restrict direct discharge of raw sewage in to water body/ river and also to prevent sewage farming in the area which generates lot of health hazards for the society. Hence, it is proposed to treat raw sewage to bring effluent quality parameters within permissible limits as per CPHEEO norms prior to discharge in to nearby Jojari river. **Therefore A&F sanction is recommended.**

Proposal submitted for accord of approval before EC.

प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त वर्णित संपूर्ण परियोजना को निदेशक–वित्त, निदेशक–अभियांत्रिकी, नगर निगम जोधपुर ~~कोटा~~ के पदाधिकारी, पी.एच.ई.डी. व इससे जुडी हुई संस्था/ अधिकारी से चर्चा कर पूर्ण परीक्षण करवाया जाये। साथ ही वर्तमान में सिवरेज तंत्र, प्रगतिरत सिवरेज कार्य विभिन्न योजनाओं में प्रस्तावित सिवरेज कार्य व आगामी कार्य योजना के संदर्भ में भी परीक्षण किया जाए ताकि एक समेकित, पूर्ण व उपयोग में लाने योग्य सिवरेज नेटवर्क विकसित किया जा सके। उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 33 :: कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ जारी पट्टों में नाम हस्तान्तरण के संबंध में।

प्राधिकरण में प्राधिकरण के अलावा अन्य विभागों यथा भूमि रूपान्तरण विभाग आदि से कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ जारी पट्टों में प्राधिकरण/न्यास द्वारा जारी पट्टों की भांति नाम

हस्तान्तरण एवं ऋण हेतु बैंकों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी की मांग की जाती रही है। प्राधिकरण के अलावा अन्य विभागों यथा भूमि रूपान्तरण विभाग द्वारा जारी पट्टों में नाम हस्तान्तरण नहीं होने एवं ऋण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र संबंधित बैंक को नहीं दिये जाने पर संबंधित बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर प्राधिकरण द्वारा जारी पट्टों की तरह ही नाम हस्तान्तरण व ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं को प्राधिकरण की ओर से भूखण्ड रहन रखने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष है। उल्लेखनीय है कि जारी पट्टों का रिकार्ड प्राधिकरण को हस्तान्तरित नहीं हुआ है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित प्रकार से निर्णय लिया गया कि :–

1. फ्रि होल्ड पट्टों के संबंध में नियमों में स्पष्टता नहीं है। अतः सम्पूर्ण तथ्यों को उल्लेखित करते हुए राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिया जाऐ।
2. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रूपान्तरित व अन्य संबद्व अधिनियमों के तहत विभिन्न भू–रूपान्तरण प्राधिकारियों द्वारा जारी पट्टों के संबंध में प्रस्तावानुसार नाम हस्तान्तरण, बैचान अनुमति व रहन अनुमति हेतु कार्यवाही जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की जाऐ।
3. उपर्युक्त प्रकरणों से संबंधित समस्त रेकार्ड संबंधित भू–रूपान्तरण प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाऐ।

प्रस्ताव संख्या 34 :: मास्टर प्लान–2023 से बाहर प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्रामों/भूमियों के संबंध में।

माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय द्वारा जयपुर में दिनाक 8 अगस्त, 2015 को ड्राफ्ट मास्टर प्लान–2031 को अन्तिम रूप दिये जाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। उपर्युक्त समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में भविष्य में मास्टर प्लान निर्धारित करते समय जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम में दर्शित अनुसार सेक्टर प्लान को भी विकसित किया जाऐ। सेक्टर प्लान बनाते समय यथासंभव, वर्तमान रोड़ (महत्वपूर्ण चौड़ी रोड़ो को प्राथमिकता) को सेक्टर प्लान की सीमा के रूप में लिया जाऐ। तथा सेक्टर प्लान में हरित स्पेस (Green Space) व खुले स्थान (Open Space) को विशिष्ट रूप से प्राथमिकता दी जाऐ। समीक्षा बैठक में ड्राफ्ट मास्टर प्लान–2031 के संबंध में निर्णय लिया गया था। निर्णय के आदेश की प्राप्ति अभी शेष है। इसी समीक्षा बैठक में यह चर्चा की गई कि मास्टर प्लान 2023 की परिधी से बाहर के क्षेत्र जो जोधपुर विकास प्राधिकरण रिजन में शामिल है, का वर्तमान में भू–उपयोग निर्धारित नहीं होने से भूमि के भू–उपयोग निर्धारण हेतु विशिष्ट प्रकरणों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। अतः तद्नुसार जोनवार राजकीय भूमियां व अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों को चिन्हित कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान – 2023 के बाहर स्थित प्राधिकरण/निजी स्वामित्व की भूमियों के भू–उपयोग निर्धारण आदि किये जाने के संबंध में राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त की जावे।

प्रस्ताव संख्या 35 :: ई–ऑक्सन प्रणाली लागू करने के संबंध में।

प्राधिकरण द्वारा ई–ऑक्सन प्रणाली के माध्यम से भूखण्डों की नीलामी की जानी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने पर है तथा दिनाक 1 सितम्बर, 2015 से प्राधिकरण द्वारा नीलामी जरिये ई–ऑक्सन प्रणाली किया जाना प्रस्तावित है। ई–ऑक्सन प्रणाली द्वारा नीलाम किये जाने वाले भूखण्डों का श्रेणीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में नीलाम किये जाने वाले भूखण्ड की आरक्षित दर के अनुसार कीमत राशि 1 करोड़

लाख या इससे अधिक हो, की नीलामी ई–ऑक्सन प्रणाली से किया जाना प्रस्तावित है। क्योंकि छोटे भूखण्ड़ जो कम किमत है के संबंध में ई–ऑक्सन व्यवहारिक नहीं है,जबकि बड़े भूखण्ड़ व अधिक मूल्य के भूखण्ड़ों हेतु ई–ऑक्सन किया जाना ज्यादा तर्कसंगत है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से दिनांक 1 सितम्बर, 2015 से ई–ऑक्सन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। ऐसे भूखण्ड जिनकी आरक्षित दर के आधार पर कीमतन राशि 1.00 करोड़ रूपये या इससे अधिक आंकी जाती है, को ई–ऑक्सन प्रणाली के माध्यम से भूखण्ड की समयबद्ध नीलामी की कार्यवाही की जावे। इस हेतु एक सैल का गठन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 36 :: खसरा संख्या 92, 92/2 ग्राम सूथला स्थित चौपासनी रोड की चौड़ाई के संबंध में।

1– खसरा नं. 92, 92/2 ग्राम सुथला की भूमि खातेदार की कृषि भूमि है जिसके भूखण्ड़ों के बैचाननामे वर्ष 1973 के है। रेवेन्यू रेकर्ड में आज भी खातेदारी भूखण्ड़धारियों की दर्ज है।

2– भूमि रूपान्तरण नियम लागू होने पर भूखण्डधारियों द्वारा आवेदन करने पर वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा दिनांक 10.10.1985 को योजना का प्लान अनुमोदन किया गया।

3– अनुमोदित प्लान में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर ने खसरा नं. 92, 92/2 ग्राम सुथला में चौपासनी रोड़ की चौड़ाई 200 फीट रखते हुए प्लान स्वीकृत किया।

4– स्वीकृत प्लान में सड़क की मध्य बिन्दु से दोनो तरफ केन्द्रीय बिन्दु से 100–100 फीट कुल 200 फीट आरक्षित की गई।

5– खसरा नं. 92, 92/2 ग्राम सुथंला की तरफ 100 फीट सड़क की चौड़ाई आरक्षित करते हुए योजना प्लान में भूखण्ड संख्या 1 से 42 सारे विलोपित कर दिये गये व सम्पूर्ण क्षेत्र भूखण्ड़ों का रोड़ में दर्शा दिया गया।

6– पूर्व में कई भूखण्ड़ सड़क के मध्य बिन्दु से 80 फीट की दूरी 90 फीट की दूरी, 92 फीट की दूरी 60 फीट की दूरी पर स्थित थे जिन्हे भी रोड़ बाउण्ड्री 100 फीट मानते हुए भूखण्ड़ों को काट दिया गया।

7– खसरा नं. 92, 92/2 ग्राम सुथला की आवासीय योजना के ठीक सामने रोड़ के दूसरी तरफ राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना सेक्टर 16 आया हुआ है जिसमें चौपासनी रोड़ की चौड़ाई 100 फीट दर्शायी गई हुई है।

8– राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना सेक्टर 16 की योजना चौपासनी रोड़ के मध्य बिन्दु से 50 फीट की दूरी पर निर्मित है जिसमें सभी मकानात बने हुए है और मौके पर उसके परिवार लोग निवास करते है।

9– खसरा नं. 92, 92/2 ग्राम सुथला के पास ज्वाला विहार आवासीय योजना आयी हुई है जिसका वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा मानचित्र पत्र दिनांक जेडीजेड/1628 दिनांक 06.04.1987 के द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमें इसी चौपासनी रोड़ को 160 फीट आरक्षित करते हुए स्वीकृत किया गया।

10– ज्वाला विहार योजना में चौपासनी रोड़ चौड़ाई 160 फीट मध्य बिन्दु से 80–80 फीट आरक्षित की गई और उसी के अनुसार मौके पर आवासीय मकानात बने हुए है।

11— मास्टर प्लान 2023 में उक्त चौपासनी रोड़ 160 फीट की दर्शायी गई है जिसके संबंध में वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 02.09.2002, 07.06.2002 में उल्लेखित किया है।

12— चौपासनी रोड़ की चौड़ाई वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा स्वीकृत ज्वाला विहार आवासीय योजना में निर्धारित की गई। 160 फीट चौड़ी रखी जावे।

13— खसरा नं. 92, 92/2 ग्राम सुथला से आगे निराली ढाणी वगैरा में पट्टे 150 फीट चौड़ी सडक मानते हुए दिये हुए है।

14— उपरोक्तानुसार राजस्थान आवासन मण्डल ने सेक्टर 16 आवासीय योजना की योजना में चौपासनी रोड़ को मध्य बिन्दु से 50 फीट छोड़ते हुए अर्थात् 100 फीट अपनी योजना बनायी है एवं वर्तमान में सभी आवास गृहों में रहवास है।

15— मास्टर प्लान—2023 के पेज संख्या 51 पर सड़कों का मार्गाधिकार उल्लेखित किया गया है। जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु 200 फुट तथा राजय राजमार्ग आरटोरियल हेतु 160—200 फीट मार्गाधिकार तय है। परन्तु प्रश्नगत रोड़ न तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर है एवं न ही राज्य राजमार्ग है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष चौपासनी सड़क के उपर्युक्त भाग का मार्गाधिकार 160 फीट चौड़ा निर्धारण करने हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण के विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में विस्तृत परीक्षण कर निदेशक आयोजना द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या 37 :: ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 262/2 रकबा 11330.82 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से संस्थागत शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

श्री केवलचन्द मोदी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 262/2 की रकबा 11330.82 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से संस्थागत शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन करने की मांग की है। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आमजन से आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दैनिक समाचार—पत्र दैनिक भास्कर के अंक दिनांक 5 सितम्बर, 2013 एवं दैनिक नवज्योति समाचार—पत्र के अंक दिनांक 6 सितम्बर, 2013 में सूचना प्रकाशित की गयी। जिसके कम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि झालामण्ड से सरदारसमंद जाने वाली मुख्य सडक पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है तथा वर्तमान में भूखण्ड मौके पर खाली है। आवेदित भूमि 100 फीट चौडी मुख्य सडक पर स्थित है। आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार मास्टर प्लान 2023 के अनुसार खसरा संख्या 262/2 ग्राम झालामण्ड का लैण्ड यूज आवासीय आरक्षित है तथा मास्टर प्लान (ड्राफ्ट) 2031 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का लैण्ड यूज आवासीय आरक्षित है तथा मास्टर प्लान ड्राफ्ट बुक के पृष्ठ संख्या 151 पर आवासीय यूज में एज्यूकेशनल अनुज्ञेय है।

अतः प्रकरण में भू—उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे लम्बित समस्त प्रकरणों के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 38 :: ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के भूखण्डों को आवंटित किये जाने के संबंध में।

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति ले-आऊट प्लान में टाउनशिप निति व संबंधित नियमानुसार ई. डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के भूखण्डों का प्रावधान रखा गया है। उक्त ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल. आई.जी. वर्ग के भूखण्डों को नियमानुसार आवंटित किया जाना है। इस संबंध में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाकर नियमानुसार लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि टाऊनशिप पॉलिसी के प्रावधानानुसार 5 प्रतिशत ऐसे ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के भूखण्डों का चिन्हीकरण कर भूखण्ड आवंटन हेतु योजना लांच की जावे। इस कम में निदेशक–आयोजना उपलब्ध भूखण्डों की सूची प्राप्त कर इस हेतु इकजाई कार्य योजना, बुकलेट व अन्य आवश्यक तैयारियां कर योजना को लॉन्च करायेंगे।

प्रस्ताव संख्या 39 :: ग्राम मोकलावास स्थित प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि पर योजना बनाने के संबंध में।

ग्राम मोकलावास के खसरा संख्या 491, 512 व 513 रकबा 2833 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन भाकर प्राधिकरण के स्वामित्व की है। उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन भाकर है। उक्त भूमि पर आवासीय एवं अन्य प्रयोजनार्थ योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। अतः इस संबंध में सम्बद्ध विभागों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार योजना लागू करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णया लिया गया कि अन्य सम्बद्ध सभी विभागों से अनुमति/अनापत्ति प्राप्त कर तथा समन्वय स्थापित कर योजना लांच की जावे।

प्रस्ताव संख्या 40 :: इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बॉटलिंग प्लाण्ट स्थापित करने हेतु भूमि का आवंटन।

इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक जेडीएओ/एलपीजी/बीपी/07 दिनांक 21.08.2015 ने बॉटलिंग प्लाण्ट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन की मांग की है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को ग्राम सर के खसरा संख्या 187 रकबा लगभग 580 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर एवं ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 574 रकबा 134 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन गौचर का मौका निरीक्षण करवाया गया। अतः इस संबंध मे निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर व्यवसायिक दर पर भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 41 :: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बॉटलिंग प्लाण्ट स्थापित करने हेतु भूमि का आवंटन।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक PLANT/RES/RM दिनांक 11.06.2015 द्वारा बॉटलिंग प्लाण्ट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन की मांग की है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को ग्राम सर के खसरा संख्या 187 रकबा लगभग 580 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर का मौका निरीक्षण करवाया गया। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने उक्त भूमि को उपयुक्त माना है। अतः इस संबंध मे निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर व्यवसायिक दर पर भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 42 :: ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में आवासीय योजना बनाने के संबंध में।

ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में गौकुल धाम योजना विकसित की जाकर आवंटन किया जा चुका है। इसी खसरे में भूमि उपलब्ध है जिस पर योजना बनायी जा सकती है। अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में गौकुलधाम योजना व अन्य आवंटित/आरक्षित भूमि के पश्चात् शेष बची रिक्त भूमि पर आवासीय एवं अन्य प्रयोजनार्थ योजना बनाने के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार योजना शीघ्र लांच करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 43 :: श्री राम को आवंटित भूखण्ड संख्या 237 सेक्टर–ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया के संबंध में।

श्री राम को प्लाट संख्या ए–237, मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर आवंटित किया गया था। उक्त प्लाट प्रस्तावित बाई–पास/मास्टर प्लान की रोड में आने के कारण प्रार्थी को कब्जा एवं लीज डीड जारी नहीं की जा सकी। प्रार्थी ने माननीय उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19 जुलाई, 2013 द्वारा लीज डीड जारी करने के निर्देश मय शास्ति दिये है। प्रार्थी को लीज डीड जारी नहीं करने के कारण उसने माननीय न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 4 फरवरी, 2015 के प्रस्ताव संख्या 24 द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में समान क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटित किया जावे। प्रार्थी ने राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड लेने से इन्कार कर दिया।

माननीय न्यायालय ने सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को नीलामी में कय किये गये भूखण्ड के समकक्ष कॉर्नर भूखण्ड देने के निर्देश उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति पर दिये। उक्त मामा अचलेश्वर प्रसादनगर योजना में भूखण्ड संख्या 112 जो नीलाम किये गये भूखण्ड के समान रोड पर स्थित है, को प्रार्थी को पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या–237 के स्थान पर माननीय उपभोक्ता न्यायालय के निर्देशानुसार आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। भूखण्ड का क्षेत्रफल अधिक होने पर अधिक क्षेत्रफल की राशि वर्तमान आरक्षित दर अथवा नीलामी दर जो भी अधिक हो से लिया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड संख्या ए–112, मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया योजना आवंटित करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में आवंटित भूखण्ड की तुलना में बढे हुए क्षेत्रफल की राशि वर्तमान आरक्षित दर अथवा नीलामी दर जो भी अधिक हो से वसूल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 44 :: भूखण्ड संख्या 231, कीर्तिनगर योजना सेक्टर सी बाबत।

प्रार्थी श्री कृष्णा कन्हैया परिहार एवं श्रीमति डिम्पल प्रजापत ने अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 231 कीर्ति नगर आवसीय योजना सेक्टर सी की बकाया 3/4 राशि जमा करवाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण वर्ष 2009 की निलामी का है। निलामी के समय 1/4 राशि दोनों प्रार्थीयों की प्राधिकरण कोष में जमा है। तथा निलामी के दिन ही माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनो भूखण्डो पर स्टे–ओडर प्रदान करने के उपरान्त प्रार्थी बकाया 3/4 राशि प्राधिकरण कोष में तत्कालीन समय जमा नही करवा सके। पैरा एन/25 से एन/37 के अन्तर्गत निदेशक विधि की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2009 के अन्तर्गत निलामी बोली का अनुमोदन कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना था इस प्रकरण में तत्कालीन वर्ष 2009 के दिनांक 17/04/2009 की कार्याकारी समिति की बैठक के प्रस्ताव सख्या 3 के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड संख्या 231 एवं 232 सेक्टर सी कीर्ति नगर आवासीय योजना के निलामी मे विक्रय किये गये भूखण्डो को निलामी बोलियो का अनुमोदन किया है। निदेशक (विधि) की राय अनुसार बकाया 3/4 राशि जमा करवाने हेतु उक्त Limitation Date of Judgement दिनांक 2/09/2013 से आरम्भ होने बाबत टिप्पणी दी है। प्रथम तो यह है कि उक्त कीर्ति नगर योजना वर्तमान मे नगर निगम जोधपुर को हस्तान्तरित की जा चुकी है। तथा बकाया 3/4 राशि जमा करवाये जाने बाबत् ब्याज एवं शास्ती ली जानी है तो वह कब से ली जानी है। भूखण्ड संख्या 231 एवं 232 सेक्टर सी कीर्ति नगर की बकाया 3/4 राशि प्रार्थीगण अब जमा करवाना चाहते है। प्रकरण निलामी वर्ष 2009 का है। तथा वर्तमान में कीर्ति नगर योजना का सम्पूर्ण हस्तान्तरण नगर निगन जोधपुर को किया जा चुका है।

माननीय जिला न्यायालय जोधपुर में उक्त अतिक्रमीयों द्वारा मामला कोर्ट से विड्रो कर लिया गया हैं। प्रार्थी गणों द्वारा उक्त निर्णय (Case with draw) की दिनांक 02/09/2013 के पश्चात एवं पूर्व में बकाया राशि जमा करवाये जाने के प्रार्थना पत्र पत्रावली में मौजुद है। परन्तु तत्कालीन समय प्रकरण माननीय न्यायालय मे विचाराधीन होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी थी। प्रार्थी द्वारा बार–बार बकाया राशि जमा करवाये जाने का निवेदन किया जा रहा है। अतः बकाया 3/4 राशि पर ब्याज एवं शास्ती किस दिनांक से वसूल की जानी है। तथा प्रकरण का क्षैत्र भी नगर निगम के क्षैत्राधिकार का है। सम्पूर्ण रेकर्ड भी नगर निगम जोधपुर को भेजा जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने बाबत् कार्यकारी समिति के सम्मुख प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अब कीर्तिनगर क्षेत्र नगर निगम, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार शेष 3/4 राशि जमा की जाकर नियमानुसार लीज डीड आदि जारी करने की कार्यवाही नगर निगम, जोधपुर द्वारा की जानी है। अतः प्रकरण नगर निगम, जोधपुर को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 45 :: बैचान अनुमति, बैंक को भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु तहसीलदार को अधिकृत किये जाने के संबंध में।

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2015 में निर्णय लिया जाकर प्राधिकरण में पदस्थापित जोन तहसीलदार को नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने एवं उस पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया था। जोन में बैचान अनुमति व बैंक को भवन निर्माण हेतु ऋण के संबंध में संबंधित बैंक को अनापत्ति पत्र जारी करने का कार्य वर्तमान में जोन उपायुक्त द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। जोन उपायुक्त के पास काफी कार्य रहता है। अतः बैचान अनुमति व बैंक को

भवन निर्माण हेतु ऋण के संबंध में संबंधित बैंक को अनापत्ति पत्र जारी करने हेतु प्राप्त पत्रों पर निर्णय लेने एवं बैचान अनुमति जारी करने व बैंक को भवन निर्माण हेतु ऋण के संबंध में संबंधित बैंक को अनापत्ति पत्र जारी करने हेतु संबंधित जोन तहसीलदार को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार बैचान अनुमति व बैंक को भवन निर्माण हेतु ऋण के संबंध में संबंधित बैंक को अनापत्ति पत्र जारी करने हेतु संबंधित जोन तहसीलदार को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण संबंधित जोन उपायुक्त करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 46 :: न्यायिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में।

जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक प.14(17)जविप्रा/संस्था/2014 दिनांक 14.08.2014 द्वारा सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध दायर न्यायिक प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करने की दृष्टि से तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर माननीय न्यायालय यथा माननीय उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय आदि में पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने की दृष्टि से प्राधिकरण की विधि शाखा में सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जानी प्रस्तावित है। उक्त सहायक अधिवक्तागणों को एक निश्चित मानदेय के साथ साथ प्रत्येक प्रकरण के अनुसार राशि दी जानी प्रस्तावित है। जिसमें वाहन भत्ता व मोबाईल भत्ता सम्मिलित रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्रति प्रकरण अतिरिक्त राशि दी जानी प्रस्तावित है। उक्त सहायक अधिवक्तागण कार्यालय की विधि शाखा में ही बैठकर निदेशक–विधि के निर्देशानुसार प्रतिदिन कार्यवाही निष्पादित करेंगे। अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्तावानुसार सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जावे। इस हेतु प्रत्येक अधिवक्ता को कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 20.10.2014 व पूर्व मे जारी आदेश क्रमांक एफ.42/विधि/जेडीए/72 से 144/15 दिनांक 02.02.2015 द्वारा 3000/– रूपये फिक्स पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा जिसमें वाहन व मोबाईल भत्ता सम्मिलित है। माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर सहायक अधिवक्ता के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर क्रमशः 2,000/– रूपये एवं 1,000/– रूपये प्रति जवाब भुगतान किया जावेगा। इन सहायक अधिवक्ताओं का चयन, कार्य आवंटन, अनुभव, नियुक्ति शर्तों एवं अन्य शर्तों आदि के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जाऐगी।

प्रस्ताव संख्या 47 :: डिमाण्ड नोट पर वैद्यता अवधि अंकित करने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जारी किये जाने वाले डिमाण्ड नोट के अध्ययन से यह पाया गया है कि इन डिमाण्ड नोट की वैद्यता की अवधि अंकित नहीं की जाती है जिसके कारण उक्त डिमाण्ड नोट के आधार पर जारी होने की तिथि से काफी समय पश्चात् भी राशि जमा हो जाती है। जिसके कारण कई बार विपरित स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा प्राधिकरण को ब्याज का भी नुकसान होता है। अतः अब भविष्य में जारी होने वाले डिमाण्ड नोट पर उनकी वैद्यता अवधि अंकित किया जाना प्रस्तावित है ताकि उक्त वैद्यता अवधि के पश्चात् राशि प्राधिकरण कोष में जमा नहीं हो सके। अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिंति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 48 :: ए.डब्ल्यू.एच.ओ. ग्रुप हाऊसिंग हेतु भूमि आवंटन।

प्रशासनिक अधिकारी, 19 एफ.ए.डी. पत्र क्रमांक 1907/Land/PC/Adm/AWHO दिनांक 19.08.2015 ने सैनिक कर्मिकों के आवास हेतु भूमि आवंटन करने हेतु निवेदन किया है। इस संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम कैरू के खसरा संख्या 1254 में भूमि उपलब्ध है। जो सहमति प्राप्त कर आवंटन की जा सकती है। अतः इस संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवेदक विभाग की सहमति प्राप्त होने पर ग्राम कैरू के खसरा संख्या 1254 में भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 49 :: राजकीय विद्यालयों, ग्राम पंचायत कार्यालय भवन एवं राजकीय कार्यालयों हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित भूमियों पर राजकीय विद्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु आवंटन के प्रस्ताव प्राप्त होते है। उक्त भूमि आवंटन के संबंध में प्रचलित आवंटन निती के तहत प्रस्ताव राज्य सरकार को आवंटन हेतु प्रेषित किये जाने प्रस्तावित है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
सचिव

क्रमांक / आवंटन / 2014 / 1802–5 / 2783–2816 दिनांक 26 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर / पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
05. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर / बोरानाड़ा

2783-2816
26/8/15

10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निजी सचिव (आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I/II/III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. ....

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
सचिव

2783-2816

26/8/15 **परिशिष्ट–1**

दिनांक 26 अगस्त, 2015 को प्रातः 11.00 बजे श्री जोगा राम, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री प्रेमसुख शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
2.	श्री आर.पी.शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	श्री सुमनेश माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
4.	श्री रविराय वर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5.	श्री नरपतसिंह शेखावत, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री ज्ञानेश्वर व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री एम.एल. मीना, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
8.	श्री सुरेश व्यास, अधिशाषी अभियन्ता, नगर वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
9.	श्री एच.एन. बुनकर, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर
10.	श्री महेन्द्र सिंह, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा, जोधपुर
11.	श्री एन.एल. सीरवी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
12.	श्री आर.एल. विश्नोई, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
13.	श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्री मोहनसिंह राजपुरोहित, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव